महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के एक अनुषंगी कंपनी)

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

२०२०-२१

खनन गहरा

लक्ष्य ऊंचा

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा

2020-21

पंजीकृत कार्यालयः- जागृति विहार, बुर्ला

संबलपुर, ओडिशा, 768020

विषय सूची

क्रम संख्या		पृष्ठ संख्या
1.	कंपनी की जानकारी	1
2.	निदेशक मंडल	2
3.	वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना	3
4.	निदेशकों के प्रतिवेदन	4-13
5.	लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन	14-24
6.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	25
7.	31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन पत्र	27-28
8.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि का विवरण	29-30
9.	नगद प्रवाह विवरण	31-32
10.	तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची और लाभ-हानि का विवरण	33-77

कंपनी की जानकारी

वर्ष, 2020-21 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष

श्री ओ.पी. सिंह		(01.03.2019 से प्रभावी)

निदेशक

श्री केशव राव		(16.12.2020 से प्रभावी)
श्री के.के. राउल		(10.01.2019 से प्रभावी)
श्री ए. हुसैन		(15.12.2020 तक)
श्री एस.के. मोहांती		(01.06.2016 से प्रभावी)
श्री एस.एल. गुप्ता		(25.08.2016 से प्रभावी)
श्री एम.के. सिंह		(01.11.2019 से प्रभावी)
श्री ए. नरेन्द्र		(02.08.2017 से प्रभावी)
श्री एस.के. सिंहा	सी.ई.ओ.	(24.12.2020 से प्रभावी)
श्री बी.के. बेहेरा	सी.ओ.ओ.	(08.07.2019 से प्रभावी)
श्री पी.के. पंडा	सी.एफ.ओ.	(01.06.2020 से प्रभावी)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एस. कक्कड़ एंड असोसिएट्स,
सनदी लेखाकार,
गोलबाजार, संबलपुर, ओडिशा

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक,
एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा,
जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर, ओडिशा-768020.

आईसीआईसीआई बैंक
सचिवालय मार्ग,
बर्मा नगर, यूनिट -4,
भुवनेश्वर - 751001

पंजीकृत कार्यालय

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड,
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर,
ओडिशा-768020.

निदेशक मंडल 30.06.2021 तक

श्री ओ.पी. सिंह	अध्यक्ष
श्री केशव राव	निदेशक
श्री के.के. राउल	निदेशक
श्री एस.एल. गुप्ता	निदेशक
श्री एम.के. सिंह	निदेशक
श्री ए. नरेन्द्र	निदेशक
श्री एस.के. मोहांती	निदेशक

स्थगित 6वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की छठवीं वार्षिक आम बैठक (जो 5 जुलाई, 2021 को बुलाई गई थी और कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई) निम्नलिखित कार्यों के संचालन हेतु शुक्रवार, 16 जुलाई, 2021 को अपराह्न 04.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा - 768020 में आयोजित की जाएगी :

सामान्य कार्य :

1. 31मार्च 2021 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों ,तुलन पत्र और-उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट, वैधानिक लेखापरीक्षक तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित 31मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने हेतु।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते महानदी कोल रेलवे
लिमिटेड
ह-/.
(सिंह .पी .ओ)
अध्यक्ष
डीआईएन : 07627471

स्थान : संबलपुर
तिथि: 15.07.2021

टिप्पणी :

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के बदले उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है।
2. प्रॉक्सी के प्रभावी होने के लिए कंपनी को बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले सूचना प्राप्त होनी चाहिए।
3. बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रति भेजें।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के प्रावधानों तथा उस पर लागू नियमों के साथ पठित रूप में कोई व्यक्ति पचास से अधिक नहीं सदस्यों की ओर से एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है और जो कुल मिलाकर मतदान अधिकार रखने वाली कंपनी की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, मतदान अधिकार रखने वाली कंपनी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकती है, जो किसी अन्य सदस्य के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।
5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के तहत प्रावधानों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक को अल्पावधि की सूचना पर बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

निदेशक प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यों,

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल की ओर से वर्ष 2020-21 के लिए आपकी कंपनी के 6वीं वार्षिक प्रतिवेदन के साथ समेकित वित्तीय लेखा प्रतिवेदन, सांविधिक लेखा परीक्षक एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी प्रस्तुत करना मेरे लिए गर्व एवं सौभाग्य की बात है।

1. संगठन:

ओड़िशा राज्य के रेल गलियारे के वाहनों को खास प्रयोजन(एस.पी.वी.) के अनुकूल बनाये जाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और ओडिशा औद्योगिक विकास संरचना निगम (इडको) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए, इस तरह महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) को 31 अगस्त, 2015 से एक पृथक कंपनी के रूप में 64:26:10 के सहभागिता अनुपात में शामिल किया गया। इस प्रकार के उद्यमों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशासनिक सहयोग तथा आपसी तालमेल की आवश्यकता होती है। रेलवे की ओर से इसे तकनीकी सहायता और एमसीएल की ओर से व्यावसायिक समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे कोयला खदाने तार्किक चुनौतियों का सामना कर सके। रेल के बुनियादी ढांचे और रेल गलियारों के बाहर यातायात से उत्पन्न राजस्व के बंटवारे में निवेश करके एक सहभागी व्यापार मॉडल के माध्यम से उद्यम को बनाए रखने पर विचार किया गया है।

समझौता ज्ञापन के अनुरूप इडको के इक्विटी शेयर के तहत भूमि का मूल्य 10% या उससे अधिक होने पर ओड़िशा सरकार द्वारा उसे उपलब्ध कराया जाएगा। यदि दी गई भूमि का मूल्य ओड़िशा सरकार ने 10% से अधिक बढाया हो तो आईडीसीओ और एमसीएल की हिस्सेदारी के प्रतिशत को उसी हिसाब से संशोधित किया जाएगा। ओड़िशा सरकार, राज्य सरकार (राजस्व और वनभूमि) के स्वामित्व की भूमि प्रदान करेगी तथा उस भूमि का मूल्य उसकी इक्विटी के अनुरूप ही समायोजित किया जाएगा। क्षतिपूर्ति वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, वन्यजीव प्रबंधन योजना, सीमांकन, कटाई तथा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वन योजना के पथांतरण प्रस्ताव हेतु अन्य शुल्क एमसीआरएल द्वारा वहन किए जाएंगे। रेलवे परियोजनाओं पर डोमेन विशेषज्ञता रखने और दो चरणों में निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इरकॉन के माध्यम से कार्य करने हेतु प्रारंभिक गतिविधियों को करने की कल्पना की गई है। संपत्ति के रखरखाव, छूट और संचालन के लिए एमसीआरएल रेल मंत्रालय के साथ अलग समझौता करेगा।

एम.सी.आर.एल. की परियोजना का संक्षिप्त विवरण.

दिनांक 11.09.2015 को आयोजित पहली निदेशक मण्डल की बैठक के दौरान एम.सी.आर.एल. ने अंगुल-बलराम-जरापाडा और एक लाइन तेंटुलोई (68 किमी) खंड की पहचान अपनी पहली परियोजना के रूप में की है। इस परियोजना में मुख्य रूप से 3 लाइन जिनमें (1) अंगुल-बलराम, (2) बलराम-पुटागाडिया और (3) जरापाडा-पुटागाडिया-तेंटुलोई शामिल हैं। गलियारे के अंगुल-बलराम लाइन के लिए भूमि एमसीएल द्वारा पहले ही अधिगृहीत की जा चुकी है। रेलवे अधिनिय,1989 के तहत बलराम-पुटागरिया और जरापाडा-पुटागाडिया-तेंटुलोई लाइन के लिए भूमि अधिगृहीत की जानी है। पूरे परियोजना को रेलवे विशेष परियोजना के रूप में घोषित किया गया है।

2. कार्य निष्पादन की मुख्य बातें :

क. एमसीआरएल कार्यालय की स्थापना :

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ने कोयले की निकासी हेतु ओड़िशा राज्य के तालचेर क्षेत्र में रेल गलियारे के विकास के लिए प्लॉट नं.–A/32, खारवेल नगर, सचिवालय मार्ग, भुवनेश्वर में 11 मंजिला ओएसएचवी बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर अपने कार्यालय की स्थापना की है। कार्यालय 01.02.2017 से उक्त पते पर कार्य कर रहा है।

ख. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) :

दिनांकः27.10.2017 को अंगुल-बलराम-पुटागाडिया-जरापाडा के डीपीआर और तेंदुलोई (लगभग 68 किलोमीटर) तक एक लाइन को रेलवे बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। दिनांक 31.01.2018 को पूर्व तट रेलवे द्वारा डी.पी.आर. को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई। 60% की बढ़ी हुई माइलेज की स्वीकृति तथा रेलवे परियोजना के लिए सी.ओ.एम., ईस्ट कोस्ट रेलवे ने दिनांक 29.01.2018 को रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा। 60% के बढ़े हुए माइलेज और विशेष रेलवे परियोजना के लिए रेलवे से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। निर्माण के दौरान मुद्रास्फीति, परियोजना प्रबंधन और ब्याज सहित परियोजना की कुल लागत ₹1,700 करोड़ है।

ग. स्टैकहोल्डर के साथ बैठक :

दिनांक 18.11.2016 को ओ-डी यातायात अध्ययन में शामिल खनन योजना एवं यातायात के संबंध में भावी स्टैकहोल्डर अर्थात् नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नॉलको), सींगेरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) एवं ओड़िशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमसी) के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी।

घ. भूमि

व्यापक गलियारे के लिए रेलवे, सड़क और पानी की पाइप को समायोजित करने हेतु इडको ने मैसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड के लिए भूमि अधिग्रहण योजना की शुरुआत की है। मैसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड/आईडीसीओ की भूमि आवश्यकताओं के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत ओड़िशा सरकार ने मई, 2015 को 6(1) अधिसूचना प्रकाशित की।

दिनांक-21.03.2016 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भूमि की चौड़ाई को कम कर केवल रेल लाइन एवं इसके रख-रखाव, सड़क के लिये आवश्यक अतिरिक्त भूमि को समायोजित किया जायेगा। तदनुसार नवीन सर्वेक्षण किया गया एवं निर्धारित भूमि को संशोधित किया गया।

एम.सी.आर.एल. गलियारे का पूरा संरेखण मेसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड / इडको की अधिसूचित भूमि सीमा के भीतर सामरिक महत्व के रूप में रखा गया है। भारत का राजपत्र के अधिसूचना संख्या - 4171 दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 के द्वारा अब इस पूरी परियोजना को रेलवे स्पेशल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया है, इसके पश्चात रेलवे अधिनियम(आरएए-2008) के तहत भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी को भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 0709 दिनांक 14 फरवरी, 2020 के माध्यम से धारा 7 (ए) के तहत नामित किया गया है और धारा 20 ए के तहत आगे की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है।

ङ. स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति:

वर्ष 2014 के रेलवे के मॉडल संयुक्त उद्यम समझौते के अनुच्छेद-20 के अनुसार के तहत कंसेसियनर अर्थात एमसीआरएल द्वारा आंचलिक रेलवे के अनुमोदित सूची में से एक स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति की जाएगी, जो इरकॉन द्वारा प्रस्तुत डिजाइन एवं ड्राइंग की जाँच करेगा। अतः ईस्ट कोस्ट रेलवे की अनुमोदित सूची से उपरोक्त परियोजना को प्रवर्तन में लाने हेतु स्वतंत्र अभियंता के रुप में एक कंसल्टेंट को नियुक्त किया जाएगा। स्वतंत्र अभियंता के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है।

च. ऋण के लिए बैंक के साथ संबंध स्थापित करना:

वित्तीय अध्ययन के अनुसार अनगुल-बलराम-पुटगाड़िया-टैंटुलोई-जरापाड़ा रेल गलियारे के विकास हेतु कुल व्यय रु 1700 करोड़ होगी। प्रमोटर से 30% इक्विटी लेने के पश्चात्, वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में लगभग 1190 करोड़ रूपये लेने की आवश्यकता होगी। 26.11.2019 को एमसीआरएल के इनर कॉरीडोर के वित्तीय समापन यानि 1,190 करोड़ रूपये के सावधि ऋण की व्यवस्था के लिए निविदा जारी की गई है। वित्तीय समापन की गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैं।

छ. अनगुल-बलराम खंड का निर्माण:

निदेशक मण्डल की 6वीं बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि अंगुल-बलराम खंड के बीच कार्य वित्तीय समापन होने के बावजूद किया जाएगा। परियोजना के इस भाग के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था एमसीएल द्वारा ऋण के रूप में की जाएगी। तदनुसार दिनांक 16.11.2018 को मैसर्स इरकॉन (IRCON) ने अंगुल-बलराम खंड का कार्य मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राइज़ेज, झारखंड को अनुमानित लागत ₹64.69 करोड़ के साथ कार्य सौंपा, जिसे 09 महीने की अवधि में पूर्ण करना है।

एमसीआरएल ने उपरोक्त खंड के निर्माण के लिए ₹145 करोड़ की निधि की व्यवस्था के लिए एमसीएल से अनुरोध किया और प्राधिकृत पूंजी एवं चुक्ता शेयर में भी ₹100,00,00,000 (रूपये एक सौ करोड़) को 10,00,00,000 (दस करोड़) में विभाजित कर ₹10 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से वृद्धि किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

मेसर्स इरकॉन ने अंगुल-बलराम खंड के लिए 3 अन्य कार्यों i) मेसर्स ज्योतिन कुमार साहू, भुवनेश्वर को 03.08.2020 को 10 महीने की पूर्णता अवधि के साथ 1.26 करोड़ रुपये की लागत से एचटी और एलटी पावर लाइन क्रॉसिंग के संशोधन के लिए ii) मैसर्स श्याम तकनीकी उद्योग, झारखंड ओएचई विद्युत कार्य के लिए 27.11.2020 को 11.03 करोड़ की लागत से 12 महीने की अवधि के लिए और iii) मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को 17.489 करोड़ रुपये की लागत से 15.01.2021 को कुल 2430 मीट्रिक टन की कुल मात्रा के लिए 13 मीटर लंबी 60 किलोग्राम रेल की आपूर्ति हेतु 3 महीने की अवधि के लिए अनुबंध दिया है।

अंगुल-बलराम खंड में निर्माण कार्य जोरों पर है जो स्थानीय ग्रामीणों के प्रतिरोध के कारण प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन की मदद से कार्य चल रहा है और करीब 53% कार्य पूर्ण हो चुका है।

ज. बाहरी गलियारे(आउटर कॉरिडोर) का सर्वेक्षण :

दिनांक 11.09.2015 को एमसीआरएल के प्रथम निदेशक मंडल की बैठक में, 'आउटर कॉरिडॉर' के रूप में नामित अन्य गलियारे जैसे – टेंटुलोई-बुढ़ापंक वाया तालबीरा, चन्द्रबिला, साखिगोपाल को लगभग 98 किलोमीटर को कंपनी द्वारा चिन्हित किया गया। अंगुल बलराम –पुटागाडिया-टेंटुलोई–जारापाड़ा रेल गलियारे की शुरुआत के पश्चात तथा परियोजना की व्यवहार्यता पर विचार करते हुए इस गलियारे की प्रारम्भिक शुरुआत करने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

झ. टेंटुलोई से ओ.एम.सी खान का संयोजन:

ओड़िशा सरकार के मुख्य सचिव ने मैसर्स ओड़िशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के खनन योजना की समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया कि टेंटुलोई से वैतरणी (पश्चिम) का संयोजन रेल द्वारा किया जायेगा। बैठक का कार्यवृत्त एवं एमडी/ओएमसी के अनुवर्ती पत्र के द्वारा एमसीएल मुख्यालय को दिनांक-02.03.2017 को सूचित किया गया कि भविष्य में यह कार्य एमसीआरएल के पश्चिम गलियारे का हिस्सा होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए इरकॉन का सर्वेक्षण एवं व्यवहार्यता रिपोर्ट/डीपीआर प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

3. पूंजीगत संरचना :

कंपनी की अधिकृत और चुकता पूंजी में ₹100,00,00,000 (रुपए एक सौ करोड़) को 10,00,00,000 (दस करोड़) से विभाजित कर ₹10 प्रति इक्विटी शेयर प्राप्त की गई। 31.03.2021 तक कंपनी की चुकता पूंजी रु.5,00,000/- थी।

संस्थापक कंपनियों की इक्विटी शेयरहोल्डिंग पैटर्न इस प्रकार हैं :

क्रमांक	संस्थापक कंपनी का नाम	31.03.2021 के अनुसार शेयरहोल्डिंग पैटर्न	31.03.2020 के अनुसार शेयरहोल्डिंग पैटर्न
1	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%	64%
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%	26%
3	ओड़िशा औद्योगिक संरचना विकास निगम	10%	10%
	कुल	100%	100%

4. वित्तीय परिणाम:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हैं-

विवरण	**31.03.2021** को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये लाख में)
वर्ष की आय	2.24
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय को छोड़कर वर्ष के लिए व्यय	7.95
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय से पूर्व लाभ या हानि	(5.71)
घटाव: मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय	0.00
अवमूल्यन और ऋण परिशोधन व्यय के पश्चात परंतु कर पूर्व लाभ या हानि	(5.71)
घटाव : चालू कर	0.00
कर के पश्चात लाभ या हानि	(5.71)

कंपनी निर्माण के चरण में है और परिचालन गतिविधियां अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। इसलिए, कंपनी द्वारा किए गए सभी व्यय, जो सीधे वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान परियोजना के लिए जिम्मेदार हैं, को पूंजीकृत किया गया है और अन्य अप्रत्यक्ष खर्चों को "लाभ और हानि विवरण" के लिए प्रभारित किया गया है। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) से प्रतिभूति-रहित अल्पावधि ऋण के रूप में 10671.59/- लाख रुपये लिए हैं।

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 की शर्तों तथा सुसंगत अधिनियम के प्रावधान और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किए गए और लागू होने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अंतर्गत भारत में स्वीकृत लेखाकंन सिद्धान्त (इंडियन जी.ए.ए.पी.) के अनुसार कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है। एक नए जारी किए गए लेखांकन मानक, को यदि प्रारंभ में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो, तो लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा सभी नवीनतम आधार पर जारी किए गए या संशोधित लेखा मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी के स्टैंडअलोन लेखा परीक्षाओं के वित्तीय परिणाम का खुलासा तिमाही और वार्षिक आधार पर किया जाता है।

5. लाभांश :

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश को घोषित नहीं किया है।

6. रिजर्व :

कंपनी ने रिजर्वों में किसी भी राशि का अंतरण नहीं किया है।

7. सरकारी राजकोष से अंशदान : शून्य

8. अनुषंगी/संयुक्त उद्यम कंपनियां:

आपकी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) एक सहायक कंपनी है। इसकी कोई आनुषंगी/संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

9. जमा :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 तथा इसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा राशि स्वीकृत नहीं की है।

10. जोखिम प्रबंधन :

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन और उसके नियंत्रण हेतु अंतर्निहित जोखिम, बाहरी और आंतरिक, आवश्यक नियंत्रण उपायों के कारण जोखिम प्रभावों को नियमित तौर पर महत्व देता है। प्रबंधन नियमित रूप से सभी जोखिमपूर्ण कार्यों पर नजर रखता है।

11. संबन्धित पार्टी से लेनदेन :

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पार्टी के लेनदेन आर्म्स लैंथ आधार पर और व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे। कंपनी द्वारा प्रमोटरों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ निर्मित लेन-देन भौतिक रूप से महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं है, जिससे कि कंपनी के हित के साथ कोई संभावित संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।

12. ऋण की गारंटी व निवेश का विवरण :

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2015 को जारी स्पष्टीकरण तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) और (11) के अनुसार किए गए निवेश का पूर्ण विवरण, दिए गए ऋण या गारंटी प्रदान किए गए सुरक्षा के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, और जिस उद्देश्य के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण या गारंटी या सुरक्षा का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया जाता है, उसका खुलासा किया गया है।

13. सतर्कता तंत्र/ व्हिसिल ब्लोअर नीति

एक सरकारी कंपनी के रूप में कंपनी की गतिविधियाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सतर्कता केंद्रीय जाँच ब्युरो आदि के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुली होती हैं।

14. लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत निम्नलिखित लेखा फर्म को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

मेसर्स एस. कक्कड़ एंड असोसिएट्स, सनदी लेखाकार, गोलेबाजार, संबलपुर-ओडिशा।

15. निदेशक मण्डल

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड में निदेशक मण्डल के सदस्यों की संख्या 7 (सात) है, जिनमें एमसीएल के अध्यक्ष तथा मनोनीत 02(दो) निदेशक, इरकॉन के मनोनीत 02(दो) निदेशक, इडको के मनोनीत 01(एक) निदेशक तथा रेल मंत्रालय के मनोनीत 01(एक) निदेशक शामिल हैं।

निदेशक मण्डल की संरचना दिनांक 31.03.2021 के अनुसार निम्नवत् है-

क्रमांक	नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि
1.	श्री ओ.पी. सिंह	अध्यक्ष	01.03.2019
2.	श्री के. राव	निदेशक	16.12.2020
4.	श्री के.के. राउल	निदेशक	10.01.2020
5.	श्री एस.एल. गुप्ता	निदेशक	25.08.2016
6.	श्री एम.के. सिंह	निदेशक	01.11.2019
7.	श्री एस.के. मोहांती	निदेशक	01.06.2016
8.	श्री ए. नरेन्द्र	निदेशक	02.08.2017

16. बोर्ड की बैठक:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 02.06.2020, 04.07.2020, 20.07.2020 और 09.02.2021 को बोर्ड की चार (04) बैठकें हुईं और दो बैठकों के बीच का अंतर 120/180 दिनों से कम था। वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रमांक	निदेशक का नाम	श्रेणी	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थित
1	श्री ओ.पी. सिंह	गैर-कार्यकारी (एमसीएल)	4	4
2	श्री के. राव	गैर-कार्यकारी (एमसीएल)	1	1
3	श्री अन्वर हुसैन	गैर-कार्यकारी (एमसीएल)	3	3
4	श्री के.के. राउल	गैर-कार्यकारी (एमसीएल)	4	4
5	श्री एस.एल. गुप्ता	गैर-कार्यकारी (इरकॉन)	4	4
6	श्री एम.के. सिंह	गैर-कार्यकारी (इरकॉन)	4	3
7	श्री एस.के. मोहांती	गैर-कार्यकारी (इडको)	4	4
8	श्री ए. नरेन्द्र	गैर-कार्यकारी (रेलवे द्वारा नामांकित)	4	2

17. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का आय एवं व्यय :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) तथा कंपनी नियमावली 2014, के नियम 8(3) के साथ इसे पढ़ा जाए, जिसमें ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश, विदेशी मुद्रा के आय तथा व्यय से संबंधित जानकारी इस रिपोर्ट में संलग्नित हैं।

18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 को कंपनी नियमावली, 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा उनकी पारिश्रमिक) के नियम 5(2) के साथ पढ़ा जाये जिसमें कर्मचारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की जानकारी उपलब्ध हो।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 को कंपनी नियमावली 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा उनकी पारिश्रमिक) के नियम 5(2) के अनुसार उपलब्ध जानकारी के तहत आपके कंपनी पर यह लागू नहीं होती क्योंकि कंपनी के कोई भी कर्मचारी रू 5,00,000/- प्रतिमाह या रू 60,00,000/- प्रतिवर्ष से अधिक आहरित नहीं कर रहा था या प्रबंध निदेशक या पूर्ण कालिक निदेशक या प्रबंधक और स्वयं नियंत्रण या किसी पति/पत्नी के और आश्रित बच्चे के साथ, कंपनी की दो प्रतिशत इक्वटी शेयर से अधिक आहरित नहीं करता।

19. निदेशकों का उत्तरदायित्व-वक्तव्य

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के आवश्यकतानुसार माननीय सभी निदेशकों के उत्तरदायित्व-वक्तव्यों की एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि-

1. 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सामग्री निर्गत संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों (लेखा टिप्पणियों के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।

2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि का सही तथा उचित जानकारी दी जा सके।

3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा रोकथाम करने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

4. निदेशकों ने 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खातों को 'गोइंग कंसर्न' आधार पर तैयार किया है।

5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह के प्रणाली पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही थी।

20. बैंकर्स का नाम एवं पता:

क्रमांक	नाम	शाखा का पता
1	भारतीय स्टेट बैंक	एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर
2	आईसीआईसीआई बैंक	सचिवालय मार्ग, बर्मा नगर, यूनिट-04, भुवनेश्वर-751001

21. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी :

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा पर की गई टिप्पणी इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

22. लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन :

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में दिए गए पर्यवेक्षण को संबंधित टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, जो स्वत: स्पष्ट है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत जिस पर किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट संलग्न है।

23. आभार :

आपके निदेशकगण कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और ओड़िशा सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा ओड़िशा इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रति उनकी बहुमूल्य सहायता, समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण ने जिला प्रशासन तथा उन सभी के प्रति जिन्होंने रेल कोरिडोर के विकास में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समय-समय पर सहायता एवं सहयोग दिया है, के प्रति आभार व्यक्त किया है।

आपके निदेशकगण सभी अंशधारियों को प्रबंधन का लगातार सहयोग देने तथा विश्वास बनाये रखने हेतु धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देते हैं। आपके निदेशकगण कर्मचारियों एवं उनके संगठनों के सभी स्तरों पर प्रगति प्राप्त करने एवं लक्ष्य के निकट पहुँचने हेतु किए गए अथक प्रयास और योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं।

आपके निदेशकों ने वाणिज्य लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा ऑडिट बोर्ड-II, कोलकाता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय और कंपनी के रजिस्ट्रार ,ओड़िशा के कार्यालय के पदेन सदस्य द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रशंसा दर्ज की है।

24. परिशिष्ट :

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :

1. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित सूचना (अनुलग्नक-I) में दी गई है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत् सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट (अनुलग्नक-II) में दी गई है।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत् भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी (अनुलग्नक-III) में दी गई है।

हस्ता/
(ओ.पी. सिंह)
अध्यक्ष

स्थान : संबलपुर
तिथि: 30.06.2021

अनुलग्नक – I

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा का आय एवं व्यय

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के तहत सूचना जिसे कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) तथा निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के साथ पढ़ा जाए)

(क) ऊर्जा संरक्षण-

(i) उठाए गए कदम या ऊर्जा संरक्षण का प्रभाव: शून्य

(ii) कंपनी द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग के लिए उठाए गए कदम: शून्य

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत व्यय: शून्य

(ख) प्रौद्योगिकी समावेशन-

(i) प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किये गए प्रयास : शून्य

(ii) उत्पादन सुधार, लागत में कमी, उत्पादन विकास या आयात विकल्प आदि से प्राप्त लाभ: शून्य

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी (गत तीन वर्षों के दौरान आयातित जिसे वित्तीय वर्ष के शुरू से माना गया) के मामले में : शून्य

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय: शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा विनिमय आय एवं व्यय-

कंपनी का गठन 31 अगस्त, 2015 को हुआ है एवं इस तरह कोई गतिविधि प्रारंभ नहीं हुई है। विदेशी विनिमय के तहत आय तथा व्यय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं की गई है।

(लाख रूपये में)

विवरण	2020-2021
कुल प्राप्त विदेशी मुद्रा (निर्यात का एफ.ओ.बी. मूल्य)	-
प्रयुक्त कुल विदेशी मुद्रा :	
i) कच्चा माल	-
ii) उपयोग योग्य भंडार	-
iii) पूंजीगत सामग्री	-
iv) विदेश यात्रा	-
v) अन्य	-

अनुलग्नक-II

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

सदस्यगण, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां साथ ही महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं (तत्पश्चात "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया जाता है)।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत, हमारे मत में, हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, आवश्यक वित्तीय विवरणों की जानकारी को सत्य और निष्पक्ष रूप में देते हैं, तथा 31 मार्च, 2021 तक कंपनी के मामलों की स्थिति में भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और इसके हानि, इक्विटी में परिवर्तन और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की अनुरूपता में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

मत के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्वों में उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को वर्णित किया है। कंपनी अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक स्वतंत्र आवश्यकताओं के साथ हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम यह मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे वृत्तिक निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से हमारी राय बनाने एवं वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था और इन मामलों में हम अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

अंकेक्षण मानक 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामले की रिपोर्टिंग, प्रमुख लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारियों की तैयारी के लिए कंपनी के निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में बोर्ड के प्रतिवेदन में शामिल जानकारी तथा प्रतिवेदन के अनुलग्नक सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन एवं निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी ज़िम्मेदारी है की अन्य जानकारियों को पढ़ना और इस पर विचार करना कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ वास्तव में असंगत है या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी या अन्यथा वास्तव में गलत काहा गया है।

हमने जो कार्य किया है यदि उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी के भौतिक विवरण गलत हैं तथा हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) से संबंधित मामलों के निपटान हेतु कंपनी के निदेशक मंडल उत्तरदायी होंगे। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण के संबंध में, जो कंपनी में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है साथ ही अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक (भारतीय लेखांकन मानक) सहित, जारी किए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें एवं इसके अंतर्गत जारी किए गए हैं, इस संदर्भ में सटीक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें, जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और इसे रोकने के लिए लेखा नीतियों का चयन व लागू कराने, उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू कराने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होनेवाले मिथ्याकथन से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कंपनी को गोइंग कंसर्न के रुप में इसकी क्षमता का आकलन करती है तथा जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का या इसके संचालन को रोकने के लिए, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न होने पर गोइंग कंसर्न के आधार पर लेखांकन का उपयोग करती है तथा गोइंग कंसर्न से संबंधित मामले को आवश्यकतानुसार प्रकट करती है।

निदेशक मंडल कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है जिसमें इस बात की भी बात संपुष्टि हो कि क्या भारतीय लेखांकन मानक पूरी तरह से भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो तथा लेखा

परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, जो यह गारंटी नहीं देता है कि धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानक के अनुसार संचालित लेखा परीक्षा हमेशा गलत विवरण का पता लगायेगी ही। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और यह माना जाता है कि व्यक्तिगत या पूर्ण रुप से यह इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।

अंकेक्षण मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम वृत्तिक निर्णय लेते हैं एवं पूरे लेखापरीक्षा के दौरान वृत्तिक लेखापरीक्षा में वृत्तिक संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम :

- वित्तीय विवरणों के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान एवं उनका आकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो तथा उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करते हैं तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उचित हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशील है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के आधार पर गोइंग कंसर्न का प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी की क्षमता पर संदेह पैदा कर सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को गोइंग कंसर्न के रुप में बने रहने में कठिनाई हो सकती है।
- आंतरिक नियंत्रण में किन्हीं महत्वपूर्ण कमियों सहित जिसे लेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित किया जाता हैं, अन्य योजनाबद्ध कार्य-क्षेत्र, लेखा परीक्षा का समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष के मामलों में हम शासन विधि के लोगों साथ संवाद करते हैं जो कंपनी के नियंत्रण और इस तरह की अन्य संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल, जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन विधि उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिन्हें हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन विधि के उन लोगों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं जिसका हमने स्वतंत्र लेखा परीक्षा के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों में जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के साथ संवाद करते है, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर उचित माना जा सकता है। शासन विधि

के लोगो से बातचित के मामलों से हम निर्धारित करते है की वर्तमान अवधि की वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा मे वे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे लेखापरीक्षा के प्रमुख बिन्दु है। हम आपने लेखा परीक्षा में इन मामलों को वर्णन करते है यदि कानून और विनियम मामलों के संबंध में सार्वजनिक घोषणा नहीं करता या जब हम आतंत असमान्य परिस्थिति मे निर्धारित करते है की हमारी रिपोर्ट में मामले का उल्लेख नहीं करना चाहिए क्यों की एसे संबाद से लोक हित के लाभ के लिए महत्वपूर्ण साबित होने के लिए विपरीत परिणाम की आशा हो सकती है।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

1. भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के अनुसार अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में, हम "अनुलग्नक- 1" में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रदान करते हैं।

2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप निर्देशों पर हम "अनुलग्नक-2" दिए गए जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी की बही एवं रिकॉर्डों के आधार पर, जैसा कि हमने उचित माना है हम 143 (5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) के आवश्यकता अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    i. हमने अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से उन सभी जानकारियों एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो पूर्वोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों का हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक था।

    ii. हमारी राय में, अब तक के उन बहियों के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में विधि द्वारा आवश्यक उचित लेखा बहियों को कंपनी ने रखा है।

    iii. इस रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण तथा नकदी प्रवाह के विवरण, भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुरक्षित प्रासंगिक लेखा बहियों के साथ अनुबंध में है।

    iv. हमारे मत में, उपरोक्त वित्तीय विवरणी का अनुपालन कंपनी अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानक के साथ किया जाता है, जिसे कंपनी (एकाउंट्स) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।

    v. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जी.एस.आर 463 (ई), दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने नाते हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

    vi. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्यासता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक -3" में हमारी दी गई रिपोर्ट का अवलोकन करें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्यासता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

vii. हमारे मत में, हमारी पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) नियमावली, 2014 के नियम 11 से संबंधित अन्य मामलों को शामिल किया जाएगा।

क. जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कि कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमेबाजी नहीं है जो उसके भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

ख. जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कि कंपनी ने किसी भी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश नहीं किया है एवं कंपनी को दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी प्रकार की भौतिक हानि का अनुमान नहीं किया है, इसलिए इस संबंध में खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ग. कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण के लिए कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है और जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 (2) के तहत आवश्यक है, किसी भी राशि को निधि में स्थानांतरित करने में देरी उत्पन्न नहीं होती है।

कृते एस. कक्कड़ एवं असोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या– 317066ई

हस्ता/-
(सुनील कक्कड़)
प्रोपराइटर
सदस्यता संख्या-053159
यू.डी.आई.एन: 21053159AAAACV8875

स्थान : संबलपुर
तिथि : 24 मई, 2021

लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन हेतु अनुलग्नक-1

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के अनुसार महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अनुच्छेद 1 उल्लेखित विवरण पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. क. कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है जिसमें मात्रात्मक विवरण और उसकी अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है।

ख. उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की अचल संपत्तियों भौतिक रूप से सत्यापित

किया गया एवं इस सत्यापन में किसी भी प्रकार की भौतिक विसंगति नहीं देखी गई थी और हमारी राय में ऐसे

भौतिक सत्यापन की आवधिकता कंपनी के आकार एवं इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए कोई

भी टाइटिल डीड नहीं है।

ii. जैसा कि हमें समझाया गया है कि कंपनी के पास वर्ष के दौरान सामग्रियों, कल-पुर्जे और कच्चे माल का भंडार नहीं है। इसलिए उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (ii) की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

iii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण अनुसार तथा अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, हमने देखा कि कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत कवर की गई पार्टियों के लिए कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड के परीक्षण के आधार पर कंपनी ने कोई ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा प्रदान नहीं की है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

v. कंपनी ने अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा धारा 73 से 76 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vi. कंपनी ने कोई व्यवसाय/सेवा शुरू आरंभ नहीं की है इसलिए कंपनी पर आदेश के 3(vi) का प्रावधान पर लागू नहीं है।

vii. क. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार निर्विवाद वैधानिक देय साथ ही भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, माल और सेवा कर, उपकर व अन्य वैधानिक देय नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा किए गए हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2021 तक देय होने देयता की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक देय बकाया नहीं था।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार आयकर, विक्रय कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर जो कि किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, बकाया नहीं है।

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा रिकॉर्ड के परीक्षण के आधार पर कंपनी ने वित्तीय संस्थान, बैंक या सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। कंपनी ने कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है। इसलिए, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (viii) कंपनी पर लागू नहीं है।

ix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखत सहित) एवं ऋण के शर्तों के माध्यम से कोई पैसा नहीं बढ़ाया है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 3 लागू नहीं है।

x. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर या कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

xi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर कंपनी ने अनुसूची V के अधिनियम के अनुसार पढ़े गए धारा 197 के प्रावधानों के द्वारा अपेक्षित अनुमोदित मैंनडेट के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए भुगतान किया है ।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (xii) कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. कंपनी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम एवं संबंधित पार्टी लेनदेन करने वाली कंपनी होने के नाते भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुच्छेद 26 के तहत आवश्यक विशिष्ट विवरणों का खुलासा किया है।

xiv. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानन या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र नहीं बनाया है।

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर कंपनी ने गैर-नगद लेनदेन में निदेशक या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (xv) कंपनी पर लागू नहीं है।

xvi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

कृते एस. कक्कड़ एवं असोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या– 317066E

हस्ता/-
(सुनील कक्कड़)
प्रोपराइटर
सदस्यता संख्या-053159
यू.डी.आई.एन: 21053159AAAACV8875

स्थान : संबलपुर
तिथि : 24 मई, 2021

लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन हेतु अनुलग्नक-2

वर्ष 2020-21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत दिशानिर्देशों एवं अतिरिक्त दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट।

क्रमांक	विवरण	लेखा परीक्षकों का जवाब
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, वर्णित किया जाए।	आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास कोई प्रणाली नहीं है।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण या छूट के मामलों व ऋणदाता द्वारा कंपनी की ऋण न चुका पाने की क्षमता के कारण चुकाए गए ऋण / बट्टे खाते में ऋण / ऋण /ब्याज आदि के मामलों का पुनर्गठन किया गया है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव वर्णित किया जाए ।	हमें दी गई हमारी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा छूट बट्टे खाते में ऋण/ऋण/ब्याज आदि का पुनर्गठन नहीं किया गया है।
3.	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए धन प्राप्ति / प्राप्य का नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची प्रदान करें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की धन की प्राप्ति /प्राप्य प्राप्त नहीं हुई है।

कृते एस. कक्कड़ एवं असोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या– 317066E

हस्ता/-
(सुनील कक्कड़)
प्रोपराइटर
सदस्यता संख्या-053159
यू.डी.आई.एन: 21053159AAAACV8875

स्थान : संबलपुर
तिथि : 24 मई, 2021

लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन हेतु अनुलग्नक-3

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

समाप्त वर्ष के दौरान एवं तारीख के लिए वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ हमने 31 मार्च, 2021 तक महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ('ICAI') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर निर्देशन टिप्पण में वर्णित आवश्यक आंतरिक नियंत्रण घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कंपनी प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित, अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी प्रभावी ढंग से चल रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा ("मार्गदर्शन नोट") पर मार्गदर्शन टिप्पण एवं आईसीएआई द्वारा लेखापरीक्षा मानक जो अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में आवश्यक रुप से निर्धारित हों एवं जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए उपयुक्त ,हों के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा की है तथा दोनों ही भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना का पालन करें तथा उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें एवं सुनिश्चित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके प्रभावशील संचालन से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करने की भौतिक कमजोरी मौजूद है एवं डिजाइन का परीक्षण तथा मूल्यांकन और जोखिम आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के प्रभावशील संचालन शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो (1). अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित रुप से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2). उचित आश्वासन प्रदान करता है कि आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3). कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के संबंध में समय पर पता लगाए व इसके निवारण हेतु उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की सांठगांठ या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री के गलत विवरण हो सकते हैं और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में ह्रास हो सकता है।

मत

हमारी राय में, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ('आई.सी.ए.आई') द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर निर्देशन टिप्पण में वर्णित आवश्यक आंतरिक नियंत्रण घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे।

कृते एस. कक्कड़ एवं असोसएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या– 317066E

हस्ता/-
(सुनील कक्कड़)
प्रोपराइटर
सदस्यता संख्या-053159
यू.डी.आई.एन: 21053159AAAACV8875

स्थान : संबलपुर
तिथि : 24 मई, 2021

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की है एवं हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते एस. कक्कड़ एवं असोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या– 317066ई

हस्ता/-
(सुनील कक्कड़)
प्रोपराइटर
सदस्यता संख्या-053159
यू.डी.आई.एन: 21053159AAAACV8875

स्थान : संबलपुर
तिथि : 24 मई, 2021

अनुलग्नक- III

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013(अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत् निर्धारित ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र ऑडिट पर आधारित अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक- 24 मई 2021 को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता/-

(मौसमी राय भट्टाचार्य)

महानिदेशक, लेखापरीक्षा(कोयला), कोलकाता

स्थान: कोलकाता,

दिनांक: 16 जून, 2021

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष – 2020-21

नोट : वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी संख्या. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 एवं 37 संलग्न नहीं किया गया है क्योंकि चालू वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष के लिए शून्य आंकड़ा है।

31 मार्च,2021 के अनुसार

(लाख रुपए में)

तुलनपत्र

	टिप्पणी सं.	के अनुसार 31.03.2021	31.03.2020
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	21.51	23.85
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	11,286.77	6,245.15
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	-	-
(घ) मूर्त परिसम्पत्तियाँ	6	-	-
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	-	-
(च) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)			
(छ) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	10	834.63	853.81
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		12,142.91	7,122.81
चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) वस्तुसूची	12	-	-
(ख) वित्तीय परिसंपातियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	13	-	-
(iii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	14	78.52	52.11
(iv) अन्य बैंक बैलेन्स	15	-	-
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपातियाँ	9	0.95	2.93
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)		0.23	0.54
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11	0.72	0.02
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ(ख)		80.42	55.60
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		12,223.33	7,178.41

31 मार्च,2021 के अनुसार

(लाख रुपए में)

तुलनपत्र

	टिप्पणी सं.	के अनुसार 31.03.2021	31.03.2020
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूँजी	16	5.00	5.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	(91.51)	(85.80)
कुल इक्विटी (क)		(86.51)	(80.80)
देयताएं			
गैर-चालू देयताएं			
(क)वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	-	-
(ii) अन्य चालू देयताएं	20	-	-
(ख) प्रावधान	21	-	-
(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	22	-	-
कुल गैर-चालू देयताएं (ख)		-	-
चालू देयताएं	चालू देयताएं		
(क)वित्तीय देयताएं	(क)वित्तीय देयताएं		
(i) उधारी	(i) उधारी	-	-
(ii) भुगतान योग्य व्यापार	(ii) भुगतान योग्य व्यापार		-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया देय	सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया देय		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया देय	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया देय	8.49	7.57
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	12,295.84	7,244.44
(ख) अन्य चालू देयताएं	(ख) अन्य चालू देयताएं	5.51	7.20
(ग) प्रावधान	(ग) प्रावधान	-	-
कुल चालू देयताएं (ग)	कुल चालू देयताएं	12,309.84	7,259.21
कुल इक्विटी एवं देयताएं (क+ख+ग)	इक्विटी एवं देयताएं	12,223.33	7,178.41

संगत टिप्पणी वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है ।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/-	ह/-	कृते, कक्कड़ एंड एसोसियेट्स
(पी. के. पंडा)	(एस. के. सिन्हाँ)	सनदी लेखाकार
मुख्य वित्त अधिकारी	मुख्य अधिशासी अधिकारी	फर्म पंजीकरण सं - 317066E
ह/-	ह/-	ह/-
(केशव राय)	(ओ.पी सिंह)	(सीए सुनिल कक्कड़)
निदेशक	अध्यक्ष	प्रोपराइटर
डीआईएन : 08651284	डीआईएन : 07627471	(सदस्य संख्या . 053159)

दिनांक : 24.05.2021
स्थान : संबलपुर

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा का विवरण

(₹ लाख में)

		टिप्पण	31.03.2021 के अवधि के अनुसार	31.03.2020 के अवधि के अनुसार
	संचालन से प्राप्त राजस्व			
A	विक्रय (अन्य लेवी का सकल)	24	-	-
B	संचालन से प्राप्त अन्य राजस्व (अन्य लेवी का सकल)			
(I)	संचालन से प्राप्त राजस्व (क+ख)			
(II)	अन्य आय	25	2.24	2.02
(III)	कुल आय (I+II)		2.24	2.02
(IV)	व्यय			
	खपत वस्तुओं की लागत	26	-	-
	तैयार माल/कार्य प्रगति पर एवं व्यापार भंडार की परिसंपत्तियों में परिवर्तन	27	-	-
	कार्मिक हितलाभ पर व्यय	28	-	-
	बिजली पर व्यय		-	-
	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	-	-
	मरम्मत	30	-	-
	संविदात्मक व्यय	31	-	-
	वित्तीय लागत	32	-	-
	मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि		-	-
	प्रावधान	33	-	-
	राइट आफ	34	-	-
	अन्य व्यय	35	7.94	85.17
	कुल व्यय(IV)		7.94	85.17
(V)	अपवादात्मक मदें और टैक्स से पूर्व लाभ		(5.71)	(83.15)
(VI)	अपवादात्मक मदें		-	-
(VII)	कर पूर्व लाभ (V-VI)		(5.71)	(83.15)
(VIII)	कर पर व्यय	36	-	-
(IX)	निरंतर संचालन से अवधि के लिए लाभ(VII-VIII)		(5.71)	(83.15)
(X)	अवरुद्ध संचालन से लाभ/(हानि)		-	-
(XI)	अवरुद्ध संचालन के कर पर खर्च		-	-
(XII)	अवरुद्ध संचालन से लाभ(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII)	संयुक्त उपम / एसोसिएट्स लाभ/ (हानि) में शेयर		-	-
(XIV)	अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)		(5.71)	(83.15)
	अन्य व्यापक आय			
	क (i) मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	37	-	-
	(ii)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	ख (i) मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(XV)	कुल अन्य व्यापक आय		-	-

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा का विवरण

(₹ लाख में)

		टिप्पण	31.03.2021 के अवधि के अनुसार	31.03.2020 के अवधि के अनुसार
(XVI)	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XIV + XV) (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय)		(5.71)	(83.15)
	फलस्वरूप लाभ			
	कंपनी के मालिक		(5.71)	(83.15)
	गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
	कुल व्यापक आय विशेषकर:			
	कंपनी के मालिक		-	-
	अनियंत्रित ब्याज		-	-
	इसके कारण कुल व्यापक आय:			
	कंपनी के मालिक		(5.71)	(83.15)
	अनियंत्रित ब्याज		-	-
(XVII)	प्रति ईक्वीटी शेयर अर्जन (निरंतर संचालन के लिए)			
	मूलभूत		(11.42)	(166.30)
	तरलीकृत		(11.42)	(166.30)
(XVIII)	प्रति ईक्वीटी शेयर अर्जन (अवरुद्ध संचालन के लिए)		-	-
	(1) मूलभूत		-	-
	(2) तरलीकृत			
(XIX)	प्रति ईक्वीटी शेयर अर्जन (अवरुद्ध एवं निरंतर संचालन के लिए)		(11.42)	(166.30)
	(1) मूलभूत		(11.42)	(166.30)
	(2) तरलीकृत			

निदेशक निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/- (पी. के. पंडा) मुख्य वित्त अधिकारी	ह/- (एस. के. सिन्हाँ) मुख्य अधिशासी अधिकारी	कृते, कक्कड़ एंड एसोसियेट्स सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं - 317066E
ह/- (केशव राव) निदेशक डीआईएन : 08651284	ह/- (ओ.पी सिंह) अध्यक्ष डीआईएन : 07627471	ह/- (सीए सूनिल कक्कड़) प्रोपराइटर (सदस्य संख्या . 053159)

दिनांक : 24.05.2021
स्थान : संबलपुर

नगद प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ लाख में)

		31.03.2021 के अवधि के अनुसार	31.03.2020 के अवधि के अनुसार
परिचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह			
कर पूर्व कुल व्यापक आय		(5.71)	(83.15)
समायोजन के लिए:		-	-
अचल परीसंपतियों की हानि/ मूल्यह्रास		-	-
बैंक जमा से प्राप्त ब्याज		-	-
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित वित्त लागत		-	-
ब्याज /निवेश से लाभांश		-	-
अचल संपातियों की बिक्री पर लाभ/हानि		-	-
प्रावधान एवं अवधि के दौरान बट्टे खाते में डालना		-	-
अवधि के दौरान देयता राईट बैक		-	-
चालू/गैर-चालू परिसंपतियों और देयताओं से पूर्व परिचालन लाभ ।		(5.71)	(83.15)
समायोजन के लिए:		-	-
व्यापार प्राप्तियां		-	-
वस्तुसूची		-	-
लघु/दीर्घ अवधि ऋण/ अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपातियाँ		20.78	(207.21)
लघु/दीर्घ अवधि देयताएँ एवं प्रावधान		5,050.63	2,848.42
प्रचालन से नगद प्राप्ति		5,071.41	2,641.21
आय कर का भुगतान /वापसी		-	-
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगद प्रवाह	(A)	5,065.70	2,558.06
निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह			
अचल परिसंपतियों की खरीद		(5,039.28)	(2,516.51)
बैंक जमा मे निवेश		-	-
निवेश में बदलाव		-	-
संयुक्त उद्यम में निवेश		-	-
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज		-	-
निवेश से ब्याज/लाभांश		-	-
निवेश गतिविधियों से निवल नगद	(B)	(5,039.28)	(2,516.51)

वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह			
शेयर पूंजी को जारी करना		-	-
उधार का पुनः भुगतान		-	-
लघु अवधि उधार		-	-
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत		-	-
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि की प्राप्ति		-	-
लाभांश और लाभांश कर		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी का पुन:क्रय		-	-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त नियल नगद	(C)	-	-
नगद एवं बैंक शेष में नियल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		26.41	41.55
नगद और बैंक शेष (प्रारंभिक शेष)		52.11	10.56
नगद और बैंक शेष (अंतिम शेष)		78.52	52.11

(कोष्टक के सभी आंकड़े आउटफ्लो को दर्शाते हैं)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/- (पी. के. पंडा) मुख्य वित्त अधिकारी	ह/- (एस. के. सिन्हा) मुख्य अधिशासी अधिकारी	कृते, कक्कड़ एंड एसोसियेट्स सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं - 317066E
ह/- (केशव राय) निदेशक डीआईएन : 08651284	ह/- (ओ.पी सिंह) अध्यक्ष डीआईएन : 07627471	ह/- (सीए सूनिल कक्कड़) प्रोपराइटर (सदस्य संख्या . 053159)

दिनांक : 24.05.2021
स्थान : संबलपुर

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूँजी

(लाख रुपए में)

ब्यौरा	01.04.2019 तक बकाया	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2020 तक बकाया	01.04.2020 तक बकाया	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2021 तक बकाया
50000 इक्विटी शेयर में प्रत्येक ₹10/-	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00

ख. अन्य इक्विटी

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय (अधिशेष)	अन्य व्यापक आय	कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व				
01.04.2019 के अनुसार बकाया	-	-	-	(2.65)	-	(2.65)
अन्य समायोजन			-	-		
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
01.04.2019 को पुनर्निर्धारित शेष	-	-	-	(2.65)	-	(2.65)
वर्ष के दौरान जुड़ाव	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान लाभ	-	-	-	(83.15)	-	(83.15)
निर्धारित लाभ योजनाओं की पुन: आकलन (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोग						
सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2020 को शेष	-	-	-	(85.80)	-	(85.80)
अवधि के दौरान जुड़ाव	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान लाभ	-	-	-	(5.71)	-	(5.71)
निर्धारित लाभ योजनाओं की पुन:आकलन (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोग	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2021 के बकाये के अनुसार	-	-	-	(91.51)	-	(91.51)

टिप्पणी: 1 कॉरपोरेट जानकारी

कंपनी का संक्षिप्त विवरण

ओडिशा राज्य में रेल कॉरिडोर विकसित करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और ओडिशा औद्योगिक संरचना विकास निगम (आईडीसीओ) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। तद्नुसार, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के नाम से एक अलग कंपनी की स्थापना की गई, जिसकी इक्विटी भागीदारी अनुपात 64:26:10 था, जिसे 31 अगस्त 2015 को निगमित किया गया। इस तरह के उद्यम केंद्र और राज्य सरकार से प्रशासनिक सहायता, रेलवे से तकनीकी सहायता और कोयला खदानों के सामने आने वाली रसद चुनौतियों का सामना करने के लिए एमसीएल से वाणिज्यिक सहायता प्राप्त करके तालमेल बनाता है। रेल संरचना में निवेश करके और रेल कॉरिडोर से यातायात से उत्पन्न राजस्व को साझा करके एक सहभागी व्यवसाय मॉडल के माध्यम से उद्यम में बने रहने के लिए इसकी अवधारणा की गई है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार ओड़िशा सरकार (जीओओ) द्वारा प्रदत्त भूमि का मूल्य आई.डी.सी.ओ. के इक्विटी शेयर के समतुल्य या 10% से अधिक इनमें से जो भी अधिक हो, होगा,। यदि ओड़िशा सरकार द्वारा प्रदान किए गए भूमि का मूल्य इक्विटी से 10% ज्यादा हो तब आईडीसीओ एवं एमसीएल की शेयरधारिता प्रतिशत तदनुसार संशोधित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व वाले भूमि (राजस्व एवं वन भूमि) ओड़िशा सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे एवं ऐसे भूमि का मूल्य इक्विटी अनुसार समायोजित किया जाएगा। वन संरक्षण के तहत वनीकरण प्रतिपूर्ति लागत, वर्तमान शुद्ध लागत, वन्यजीव प्रबंधन योजना, सरहदबंदी, वन योजना परिवर्तन प्रस्ताव हेतु कटाई एवं अन्य प्रभार एमसीआरएल द्वारा प्राप्त किये जाएंगे। यह रेलवे परियोजनाओं पर डोमेन विशेषज्ञता रखने वाले इरकॉन के माध्यम से प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा करने और दो चरणों में निर्माण कार्य करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रुप में कार्य करने हेतु परिकल्पना की गई है। आस्तियों के रखरखाव, संचालन एवं रियायत के लिए एम.सी.आर.एल., रेलवे मंत्रालय के साथ समझौता करेगा।

टिप्पणी 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयारी का आधार

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के सभी समयावधि तक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक के अनुरुप तैयार किया है, जिसे कंपनी नियमावली, 2006 (भूतपूर्व-भारतीय जी.ए.ए.पी) के अनुरुप कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2014 के अनुच्छेद 7 के साथ पढ़ा एवं समझा जाएगा।

कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और उचित मूल्य पर मापी गई देनदारियों को छोड़कर, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, (पैरा 2.11 में वित्तीय साधनों पर लेखांकन नीति देखें)।

2.1.1 पूर्ण राशियां

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो, दो दशमलव बिंदुओं तक 'लाख रुपये में' पूर्णांकित किया गया है।

2.2 चालू और गैर- चालू वर्गीकरण

कंपनी के चालू/गैर- चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में आस्ति एवं देयताओं को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा एक आस्ति को वर्तमान लागत के रूप में तब तक माना जाता है, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में यह अपेक्षित हो कि आस्ति स्वीकार, बेची या उपभोग की जाये।;
ख. यह प्राथमिक रूप से व्यापार करने के लिए आस्तियों को रखती है।;
ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर आस्तियों की पहचान की गई हो: व।
घ. परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति का आदान-प्रदान करने या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। अन्य सभी संपत्तियों को गैर- चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक प्रतिष्ठान एक दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत करेगा जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में अपेक्षित देयताएं स्थापित की गई हो।;
ख. प्राथमिक रूप से देयताओं के व्यवसाय को बनाए रखना अपेक्षित हो। ;
ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर देयताओं का निपटारा किया जाएगा।
घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का अधिकार नहीं होगा। देयता की शर्तें, जो कि काउंटर पार्टी के विकल्प पर हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरुप इक्विटी को जारी करने के मुद्दों के निपटारे का परिणाम इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 राजस्व मान्यता

भारतीय लेखांकन मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व भारतीय लेखांकन मानक 11 निर्माण अनुबंधों और भारतीय लेखांकन मानक 18 राजस्व मान्यता का अधिक्रमण करता है, और यह अपने ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय लेखांकन

मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंधों से होने वाले राजस्व के हिसाब से एक पांच-चरणीय मॉडल स्थापित करता है और इसके लिए आवश्यक है कि राजस्व को उस राशि पर मान्यता दी जाए जो उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी ग्राहक को माल या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले हकदार होने की अपेक्षा करती है।
भारतीय लेखांकन मानक 115 में संस्थाओं को अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध करने के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। मानक एक अनुबंध प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतों और अनुबंध को पूरा करने से सीधे संबंधित लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन माल या सेवाओं के बदले हकदार होने की अपेक्षा करती है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 के सिद्धांतों को निम्नलिखित पांच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

कंपनी किसी ग्राहक के साथ अनुबंध तभी करती है जब निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे होते हैं:

क. अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं;
ख. कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली माल या सेवाओं के संबंध में प्रत्येक पक्ष के अधिकारों की पहचान कर सकती है;
ग. कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली माल या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;
घ. अनुबंध में वाणिज्यिक पदार्थ है (अर्थात कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम, समय या राशि अनुबंध के परिणामस्वरूप बदलने की उम्मीद है); तथा
ङ. यह संभव है कि कंपनी ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली माल या सेवाओं के बदले उस प्रतिफल को एकत्र करेगी जिसके लिए वह हकदार होगी। कंपनी जिस प्रतिफल की हकदार होगी, वह अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकती है यदि प्रतिफल परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धनवापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन की हकदार हो सकती है, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह के मद।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या दो से अधिक अनुबंधों को समेकित करती है यदि एक ही ग्राहक द्वारा एक ही समय में या एक ही समय के आस-पास अनुबंध दाखिल की जाती है (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) और अनुबंध एक एकल अनुबंध के रूप में मान्य होगा, यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है:

क. अनुबंधों पर एक ही वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में बातचीत की जाती है;
ख. एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली प्रतिफल की राशि दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है; या
ग. अनुबंधों में वादा किए गए माल या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में वादा किए गए कुछ सामान या सेवाएं) एक एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अनुबंध संशोधन के लिए एक अलग अनुबंध के रूप में जिम्मेदार है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें मौजूद हैं:

क. वादा किए गए माल या सेवाओं को जोड़ने के कारण अनुबंध का दायरा बढ़ता है जो अलग हैं और,
ख. अनुबंध की कीमत प्रतिफल की राशि से बढ़ जाती है जो अतिरिक्त वादा किए गए माल या सेवाओं की कंपनी की स्टैंड-अलोन बिक्री कीमतों को दर्शाती है और विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए उस कीमत पर किसी भी उचित समायोजन को दर्शाती है।

चरण 2: निष्पादन दायित्वों की पहचान:

अनुबंध की शुरुआत में, कंपनी एक ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा किए गए माल या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को हस्तांतरित करने के प्रत्येक वादे के प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचान करती है:

क. एक माल या सेवा (या माल या सेवाओं का एक बंडल) जो अलग है; या
ख. विशिष्ट माल या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनका ग्राहक को हस्तांतरण का समान पैटर्न है।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और इसकी प्रथागत व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन मूल्य प्रतिफल की वह राशि है जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक

को वादा किए गए माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है, तीसरे पक्ष की ओर से एकत्रित राशि को छोड़कर। एक ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा किए गए प्रतिफल में निश्चित मात्रा, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन-देन की कीमत निर्धारित करते समय, एक कंपनी निम्नलिखित सभी के प्रभावों पर विचार करती है:

- परिवर्तनीय निर्णय
- परिवर्तनीय विचार के अनुमानों को रोकना;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद प्रतिफल;
- ग्राहक को देय प्रतिफल.

बट्टा, छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की राशि भिन्न हो सकती है । वादा किया गया प्रतिफल भी भिन्न हो सकता है यदि कंपनी की प्रतिफल की पात्रता भविष्य की घटना के घटित होने या न होने पर आकस्मिक है।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सारांश के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहां लेन-देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सार के अनुसार दंड का हिसाब लगाया जाता है। जहां लेनदेन मूल्य के निर्धारण में दंड निहित है, यह परिवर्तनीय प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन की कीमत में अनुमानित परिवर्तनीय प्रतिफल की कुछ या सभी राशि को केवल उस सीमा तक शामिल करती है, जिसकी अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में एक महत्वपूर्ण उलटफेर तब नहीं होगा जब परिवर्तनशील प्रतिफल से जुड़ी अनिश्चितता कों बाद में दूर किया जाए।
कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध माल या सेवाओं को हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस माल या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो।

कंपनी प्रतिदाय दायित्व को स्वीकार करती है यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है और कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है। प्रतिदाय दायित्व को प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है, जिसके लिए कंपनी स्वत्वाधिकारी की उम्मीद नहीं करती है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि) प्रतिदाय दायित्व (और लेन-देन मूल्य में संगत परिवर्तन और, इसलिए, अनुबंध दायित्व) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध के प्रारंभ होने के बाद, लेनदेन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस भुगतान की राशि को

बदल सकती, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध माल या सेवाओं के लिए एक्स्चेंज में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन:

लेन-देन मूल्य का आवंटन करते समय कंपनी का उद्देश्य कंपनी के लिए प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या अलग-अलग माल या सेवा) के लिए उस राशि पर लेनदेन मूल्य आवंटित करना है जो इसमें कंपनी को ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए लेन-देन में कंपनी द्वारा अपेक्षित हकदार होने की भुगतान की गई राशि को प्रदर्शित करती है।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग माल या सेवाओं के अनुबंध के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण – 5: राजस्व को मान्यता:

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या के रूप में) कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है। एक माल या सेवा को तब स्थानांतरित किया जाता है जब (या के रूप में) ग्राहक उस माल या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है।

कंपनी समय पर माल या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

क. ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उपभोग करता है जैसा कि कंपनी करती है;
ख. कंपनी का प्रदर्शन एक परिसंपत्ति बनाता है या बढ़ाता है और जितनी परिसंपत्ति बनाई या बढ़ाई हुई है उतनी ग्राहक नियंत्रित करता है।;
ग. कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ एक संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक पूर्ण प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का प्रवर्तनीय अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर समय के साथ राजस्व को मान्यता देती है। कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए प्रगति को मापने का एक ही तरीका लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान प्रदर्शन दायित्वों और समान परिस्थितियों में लगातार लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट एक प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को फिर से मापती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष माल या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतरित माल या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व को मान्यता देने के लिए आउटपुट विधियों को लागू करती है। आउटपुट विधियों में ऐसे तरीके शामिल हैं जैसे कि आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धियां, व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या वितरित इकाइयाँ।

जैसे-जैसे समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने के लिए अपनी प्रगति के माप को अद्यतन करती है। कंपनी की प्रगति के माप में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के अनुरुप माना जाता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट एक प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को मान्यता देती है, यदि कंपनी प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है। जब (या के रूप में) एक प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होता है, तो कंपनी राजस्व के रूप में लेनदेन मूल्य की राशि को मान्यता देती है (जिसमें परिवर्तनीय प्रतिफल के अनुमान शामिल नहीं होते हैं जो उस प्रदर्शन दायित्व को आवंटित किए जाते हैं)।

यदि एक प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट नहीं होता है, तो कंपनी एक समय में प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए जिस पर ग्राहक एक वादा किए गए माल या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण के हस्तांतरण के संकेतों पर विचार करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं

क. कंपनी के पास माल या सेवा के भुगतान का वर्तमान अधिकार है;
ख. ग्राहक के पास माल या सेवा का कानूनी हक है;
ग. कंपनी ने माल या सेवा का भौतिक कब्जा हस्तांतरित कर दिया है;
घ. ग्राहक के पास माल या सेवा के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार हैं।
ङ. ग्राहक ने माल या सेवा स्वीकार कर ली है

जब अनुबंध के लिए किसी पक्ष ने निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर अनुबंध को अनुबंध संपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपत्ति:

एक अनुबंध संपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक को भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी ग्राहक को

माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन करती है, तो एक अनुबंध परिसंपत्ति को अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्य:

एक प्राप्य कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है जो बिना शर्त है (यानी, विचार के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

अनुबंध देनदारियां:

अनुबंध दायित्व ग्राहक को माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने का वह दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की राशि बकाया है) प्राप्त हुई है। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को माल या सेवाओं के हस्तांतरण से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने या देय होने पर (जो भी पहले हो) अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है।

लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से देरी से वसूली पर ब्याज सहित) का हिसाब तब लिया जाता है, जब वसूली की निश्चितता होती है और इसे मज़बूती से मापा जा सकता है।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

सरकारी अनुदानों को उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में पहचानती है जिनके विरुद्ध अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा है

आस्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना करके आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को तुलनपत्र में प्रस्तुत किया जाता है

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात संपत्ति के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को सामान्य शीर्षक 'अन्य आय' के तहत लाभ या हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों के मुआवजे के रूप में या भविष्य से संबंधित लागतों के बिना इकाई को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हो जाता है, उस अवधि के लाभ या हानि में पहचाना जाता है जिसमें यह प्राप्य हो जाता है।

2.5 पट्टे

एक अनुबंध एक पट्टा होता है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.5.1 एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

प्रारंभिक तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति और उस तिथि पर भुगतान नहीं किए गए पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता देगा। इसके बाद, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके, किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधनों को दर्शाने के लिए पट्टा भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को कम करके और वहन राशि को फिर से मापने के द्वारा मापा जाता है।

2.5.2 एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो एक परिचालन पट्टे हैं या एक वित्त पट्टे के रूप में हैं।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टे - परिचालन पट्टों से पट्टों के भुगतान को या तो एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो जाता है।

वित्त पट्टे- एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर उन्हें प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

इसके बाद, पट्टे की अवधि में वित्त आय को पट्टे में पट्टेदार के शुद्ध निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न के आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

ऐतिहासिक कीमत पर जमीन का वहन किया जाएगा। ऐतिहासिक लागत में वे व्यय शामिल होते हैं जो भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार होते हैं जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।

मान्यता के बाद, मद के अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि को घटाकर उसकी लागत पर ले जाया जाता है। मद की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण लागत में निम्न शामिल हैं:

क. व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।
ख. प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए संपत्ति को आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रुप से जिम्मेदार कोई भी लागत।
ग. मद को तोड़ने और हटाने एवं उस स्थल को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, जिस पर वह स्थित है, वह दायित्व जिसके लिए एक प्रतिष्ठान या तो उस समय वहन करता है जब वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है या उस अवधि के दौरान माल का उत्पादन करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के परिणामस्वरूप होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु का प्रत्येक भाग एक लागत के साथ जो अलग से मूल्यह्रास की गई वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है। हालांकि, समान उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास पद्धति वाले पीपीई के एक मद् के महत्वपूर्ण हिस्से को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने में एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है जिसमें वह खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद् के पुर्जों को बदलने की बाद की लागत को मद की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। उन पुर्जों की वहन राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित मान्यता रद्द करने की नीति के अनुसार अमान्य कर दिया गया है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की वहन राशि में एक प्रतिस्थापन के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि मद् से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत की किसी भी शेष वहन राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की एक वस्तु को निपटान पर या संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की ऐसी मान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि
(पट्टेकृत भूमि सहित): परियोजना की अवधि या पट्टा अवधि में से जो भी कम हो

भवन	: 3-60 वर्ष
सड़क	: 3-10 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	: 15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	: 5-30 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	: 3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	: 3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	: 10 वर्ष
वाहन	: 8-10 वर्ष

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य को परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटान की गई संपत्ति पर मूल्यह्रास अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत अन्य भूमि का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होते हैं और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से मूल्यह्रास संपत्ति, सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त, संपत्ति, संयंत्र उपकरण के तहत अपने अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षण की गई संपत्ति के रूप में अलग से खुलासा किया जाएगा और हानि के लिए परीक्षण किया जाएगा।

कंपनी द्वारा कुछ संपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी मौजूदा संपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षम संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं।

भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन

कंपनी को लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य जारी रखने के लिए चुना है (पिछले जीएएपी के अनुसार इसकी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए जैसा कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है और जैसा कि मापा गया है।)

2.7 विकास व्यय

जब रेल कॉरिडोर की संरेखण योजनाएं निर्धारित की जाती हैं और परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दी जाती है, तो एफएसआर और डीपीआर लागत को निर्माणाधीन संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और 'रेलवे साइडिंग/रेल आधारिक संरचना' के शीर्ष "विकास" के तहत पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में लिया जाता है। बाद के सभी विकास व्यय भी पूंजीकृत हैं।

<u>व्यावसायिक प्रचालन</u>

परियोजना को राजस्व में लाया जाएगा; जब किसी परियोजना/रेल कॉरिडोर की स्थायी आधार पर संचालन के लिए व्यावसायिक तैयारी या तो परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है

क. वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से जिसमें परिचालन से होने वाली आय कुल व्यय से अधिक होगी।

राजस्व में लाए जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत चल रही संपत्ति को "रेल आधारिक संरचना" नाम के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.8 अमूर्त संपत्तियां

अलग से अर्जित की गई अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में अर्जित अमूर्त संपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तारीख में उनका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के आधार पर गणना की गई) और संचित हानि, यदि कोई हो, से कम लागत पर ले जाया जाता है।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त, पूंजीकृत नहीं हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त संपत्तियों के उपयोगी जीवन का आकलन या तो परिमित या अनिश्चित के रूप में किया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई संकेत होता है कि अमूर्त संपत्तियां खराब हो सकती है, तो हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है। परिशोधन अवधि और एक परिमित

उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन पद्धति की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन या परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों की खपत के अपेक्षित पैटर्न को परिशोधन अवधि या विधि को उपयुक्त के रूप में संशोधित करने के लिए और लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में लिया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ या हानि के बयान में मान्यता दी जाती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

एक अमूर्त संपत्ति की मान्यता समाप्त करने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणी राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है

अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ़्टवेयर की लागत का उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन वर्ष, जो भी कम हो, शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधन किया जाता है।

2.9 संपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति खराब हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उपयोग में परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई के मूल्य से अधिक होती है और इसके उचित मूल्य से निपटान की लागत कम होती है, और एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि उन लोगों से काफी हद तक स्वतंत्र हैं अन्य संपत्ति या संपत्ति के समूह, जिस स्थिति में वसूली योग्य राशि नकदी पैदा करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे संपत्ति संबंधित है। कंपनी अलग-अलग कॉरिडोर/अनुभाग को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग नकद उत्पन्न करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

2.10 संपत्ति में निवेश

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) किराए पर या पूंजीगत अभिमूल्यन या दोनों के लिए, उत्पादन या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के बजाय; या व्यवसायों के सामान्य क्रम में बिक्री को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति को शुरू में इसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहां लागू उधार लागत शामिल है।

निवेश संपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी-रेखा पद्धति का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है।

2.11 वित्तीय प्रपत्र

एक वित्तीय साधन एक अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन प्रदान करता है।

2.11.1 वित्तीय संपत्तियां

2.11.1.1 प्रारंभिक मान्यता और मापन

लाभ व हानि के माध्यम से दर्ज न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों साथ ही अधिग्रहण के कारण लेन-देन लागत एवं सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार स्थान (नियमित तरीके से व्यापार) में विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात, जिस तारीख को कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.11.2 अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ऋण साधनों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन।
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन, डेरिवेटिव और इक्विटी (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया इक्विटी साधन

2.11.2.1 परिशोधन लागत पर ऋण साधन

एक 'ऋण साधन' को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं।

क. परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्ति रखना है, और
ख. परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर प्रदान करती है जो मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान बकाया मूलधन पर होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक

अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ या हानि में पहचाना जाता है।

2.11.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन

एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

क. व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर दोनों को प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को आरंभ में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, कंपनी पी एंड एल में ब्याज आय, खराबी के कारण हानि और उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन को धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.11.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण उपकरण

एफवीटीपीएल ऋण उपकरणों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करता है, जैसा कि एफवीटीपीएल में है। हालांकि, इस तरह के चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या मान्यता विसंगति कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है)। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में कोई ऋण उपकरण निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को पीएंडएल में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.11.2.4 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 (पहली बार अपनाई गई भारतीय लेखांकन मानक) के अनुसार, परिवर्तनीय तारीख को पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की अग्रणीत राशि को मानी गई लागत माना जाता है।

2.11.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी अन्य व्यापक आय में प्रस्तुती हेतु उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसे चुनाव साधन से साधन के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के रूप में एक इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लाभांश को छोड़कर, साधनों पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को पी एंड एल में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.11.2.6 Derecognition/ मान्यता रद्दीकरण

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से अमान्य कर दिया जाता है (यानी कंपनी की तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जबः

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हों, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या एक 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को भौतिक देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है; और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, बल्कि संपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया है, कंपनी कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित संपत्ति को पहचानना जारी रखती है। उस मामले में, कंपनी एक संबद्ध दायित्व को भी पहचानती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि को न्यूनतम हिस्से में और अधिकतम राशि जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है, मापा जाता है।

2.11.2.7 वित्तीय संपत्तियों की हानि

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं जैसे, ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष
ख. वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के रूप में मापा जाता है
ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के तहत पट्टा प्राप्य।
घ. व्यापार प्राप्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो भारतीय लेखांकन मानक 11 और भारतीय लेखांकन मानक 18 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है।

कंपनी मूल्यह्रास हानि भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का अनुसरण करती है:

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य; तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप सभी पट्टा प्राप्य।

सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को पता करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ता को मान्यता देता है।

2.11.3 वित्तीय देयताएं

2.11.3.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

कंपनी की वित्तीय देयताओं में बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं।

ऋण और उधार लेने के मामलों में तथा विशेषकर लेन-देन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य पर दर्शायी जाती है।

2.11.3.2 अनुवर्ती माप

वित्तीय देयताओं का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

2.11.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए धारित वित्तीय देयताएं और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया

जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देयताओं को मान्यता की प्रारंभिक तिथि के रूप में नामित किया जाता है, और केवल तभी जब भारतीय लेखांकन मानक 109 में मानदंड संतुष्ट होते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में नामित देयताओं के लिए, ओसीआई में स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में पी एंड एल को हस्तांतरित नहीं किए जाते हैं। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी में स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से किसी भी वित्तीय दायित्व को उचित मूल्य के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.11.3.4 परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.11.3.5 मान्यता रद्दीकरण

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तभी वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है तो यह मौजूदा देयताओं की शर्तों को संशोधित करता है, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में इसे माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेन-देन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.11.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी साधन और वित्तीय देयताएं हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, एक पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव होता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करते हैं जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के बदलाव बाहरी दलों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी ऐसी गतिविधि करना शुरू करती है या बंद कर देती है जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, तो वह पुनर्वर्गीकरण की तारीख से पुनर्वर्गीकरण को संभावित रूप से लागू करती है जो कि व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के तुरंत बाद अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ, हानि (हानि लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुनः वर्णित नहीं करती।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं-:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
फवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनः वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप आस्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुनः जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया है।

2.11.5 वित्तीय साधनों की भरपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को पूरा किया गया और समिति द्वारा तुलनपत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो तो देयताओं को प्राप्त करने साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.12 उधार लेने की लागत

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या आस्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो आस्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक आस्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि आस्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.13 कर-निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर के योग को दर्शाता है।

एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरों की देय राशि (वसूली योग्य) चालू कर है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ ''आयकर से पहले लाभ'' से अलग होते है क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो कि अन्य वर्षों मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

अस्थायी करों के अंतर के लिए स्थगित की गई कर देयताओं को आमतौर पर स्वीकार्य होती है। काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थाई अंतर के लिए अस्थगित कर परिसंपत्तियां को आमतौर पर मान्यता प्राप्त है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थायी करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे परिसंपत्तियों और देयताओं को उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगा जब तक कि अस्थायी अंतर सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ हो एवं लेन-देन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थायी अंतरों के लिए अस्थगित कर देयताओं को मान्यता प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी,

ऐसे निवेशों तथा ब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थाई अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर परिसंपत्तियों को कुछ हद तक मान्यता प्राप्त होती है, यह संभव है कि वहां अस्थायी अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अस्थगित कर परिसंपत्तियों के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि परिसंपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त अस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि अस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

अस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देयताओं व परिसंपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

अस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देयताओं की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबन्धित मदों को छोडकर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.14 रिपोर्ट की गई मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (INR) में है, जो उस आर्थिक वातावरण की प्रमुख मुद्रा है जिसमें वह संचालित होती है।

2.15 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता हैं जब कंपनी की पिछली घटना के परिणाम स्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक तुलनपत्र पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाती है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लो आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो, वहाँ दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना दूरस्थ नहीं होती है। संभावित दायित्व के अस्तित्व को केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना रिमोट नहीं होती।

प्रासंगिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं होती है और ये मान्यता यथोचित होती है।

2.16 प्रति शेयर अर्जन

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी ड्यूलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.17 निर्णय, आकलन और अनुमान

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को आकलन, निर्णय और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के आवेदन और परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा, वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण एवं रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करते हैं। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों को शामिल करने वाली लेखांकन नीतियों के आवेदन और इन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन अनुमान समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमान में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और, यदि भौतिक हो, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

2.17.1 निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

2.17.1.1 लेखांकन नीतियों का सूत्रीकरण

लेखांकन नीतियां इस तरह से तैयार की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरण होते हैं जिनमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी होती है, जिन पर वे लागू होते हैं। उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव सारहीन हो

एक भारतीय लेखांकन मानक की अनुपस्थिति में जो विशेष रूप से एक लेनदेन, अन्य घटना या स्थिति पर लागू होता है, प्रबंधन ने एक लेखा नीति विकसित करने और लागू करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है जिसके परिणामस्वरूप जानकारियां होती है:

क. उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और
ख. वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता:

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करते हैं; (ii) न केवल कानूनी रूप को दर्शाता है बल्कि लेन-देन, अन्य घटनाओं और शर्तों के आर्थिक सार को भी दर्शाता है; (iii) निष्पक्ष हैं, यानी पूर्वाग्रह से मुक्त; (iv) मितव्ययी तथा; (v) निरंतर आधार पर सभी भौतिक मामलों में पूर्ण हैं

निर्णय लेने में प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों को अवरोही क्रम में संदर्भित करता है, और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है:

क. समान और संबंधित मुद्दों से निपटने वाले भारतीय लेखांकन मानक में आवश्यकताएं; तथा

ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपतियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करते हैं, जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

लेखांकन के प्रोद्भवन आधार का उपयोग करते हुए वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2.17.1.2 सामग्रियाँ

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के कंपनी को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं, जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करती है। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा, कंपनी को कानून द्वारा आवश्यक होने पर अलग से अभौतिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभारी पूर्व की अवधि से संबंधित चालू वर्ष में खोजी गई त्रुटियों / चूक को सारहीन माना जा सकता है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जा सकता है, यदि ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कम्पनी के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल संपत्ति के 1% से अधिक नहीं हैं ।

2.17.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते को अपनाया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक आस्ति का मुख्य भाग और आस्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.17.2 आकलन और अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में आस्तियों और देयताओं की मात्रा के रूप में समायोजित की जाती है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आकलन और धारणाओं के आधार पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास के तहत बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.17.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि

यदि परिसंपत्तियों या नगदी का वहन मूल्य वसूली राशि से अधिक हो तो वे मूल्य उपयोगी होंगे, जो अपने निष्पक्ष मूल्य के निपटान मूल्य के न्यूनतम लागत पर निर्धारित किए जायेंगे और वे हानि को दर्शाएँगे। कंपनी प्रत्येक खानों को अलग-अलग नगद बनाने वाली ईकाइयों के रूप में मानता है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डी.सी.एफ. मॉडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं

किया जाता है, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है, ताकि सी.जी.यू. की आस्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डी.सी.एफ. मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सी.जी.यू. के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.17.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि अस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी। करों से संबन्धित आगामी विवरण का उल्लेख टिप्पण-38 में किया गया है।

2.17.2.3 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

जब तुलनपत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डी.सी.एफ. मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.17.2.4 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार एक परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर जब इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है।

2.18 वस्तुसूची

2.18.1 भंडार एवं कल पुर्जे

केन्द्रीय और क्षेत्रीय भंडारों पर भंडारों और कल-पुर्जे (जिसमें ढीले उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक को मूल्य स्टोर लेज़र में प्रदर्शित शेष राशि के अनुसार माना जाता है और भारित औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/उप-स्टोर/ड्रिलिंग

कैंप/उपभोक्ता केंद्रों पर पड़े भंडार और कल-पुर्जों की सूची को वर्ष के अंत में केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार माना जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और पुर्जों के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से स्थानांतरित नही किए गए स्टोर और स्पेयर के लिए 50% की दर से प्रावधान किए गए हैं।

2.17.3 अन्य वस्तुसूची

कार्यशालायें सहित अन्य अर्धनिर्मित कार्य को लागत पर महत्व दिया जाता है। प्रेस कार्य का भंडार (प्रगति में काम सहित) और प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पतालों में दवाओं का मूल्य लागत पर है।

हालांकि, स्टेशनरी के स्टॉक (प्रिंटिंग प्रेस में पड़े रहने के अलावा), ईंटों, रेत, दवा (केंद्रीय अस्पतालों को छोड़कर), विमान के पुर्जों और स्क्रैप को उनके मूल्य के महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण सूची में नहीं माना जाता है।

2.18 संक्षेपों का प्रयोग:

क.	CGU (सीजीयू)	नगद उत्पाद इकाई / **Cash generating unit**
ख.	DCF (डीसीएफ)	रियायती नगद प्रवाह /Discounted Cash Flow
ग.	FVTOCI (एफवीटीओसीआई)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य /Fair value through Other Comprehensive Income
घ.	FVTPL (एफवीटीपीएल)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य / Fair value through Profit & Loss
ङ.	GAAP (जीएएपी)	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त / Generally accepted accounting principal
च.	Ind AS (भारतीय लेखांकन मानक)	भारतीय लेखांकन मानक /Indian Accounting Standards
छ.	OCI (ओसीआई)	अन्य व्यापक आय/ Other Comprehensive Income
ज.	P&L (पी एंड एल)	लाभ और हानि /Profit and Loss
झ.	PPE (पीपीई)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण /Property, Plant and Equipment
ञ.	SPPI (एसपीपीआई)	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान /Solely Payment of Principal and Interest

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

वितीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी -3 : संपत्ति, संयंत्र एवं यंत्र

(लाख रु. में)

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / साइट पुनर्स्थापना लागत	भवन (जल आपूर्ति, सड़कों और कल्वर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	पी एंड एम भंडार	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरणों	वाहन	रेल कोरिडोर	अन्य आधारभूत रचना	सर्वेक्षण ऑफ परिसंपतियां	अन्य	कुल
कुल वहन राशि:																
01.04.2019 तक	-	-	-	-	-		-	-	32.96	0.63	-	-	-	-	-	33.59
जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च,2020 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	32.96	0.63	-	-	-	-	-	33.59
01.04.2020 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	32.96	0.63	-	-	-	-	-	33.59
जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.39		-	-	-	-	1.39
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च,2021 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	32.96	2.02	-	-	-	-	-	34.98
संचित मूल्यह्रास और हानि																
01 अप्रैल 2019 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	6.10	0.42	-	-	-	-	-	6.52
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	3.02	0.20	-	-	-	-	-	3.22
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	9.12	0.62	-	-	-	-	-	9.74
01 अप्रैल 2020 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	9.12	0.62	-	-	-	-	-	9.74
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	3.02	0.20	-	-	-	-	-	3.22
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.51	-	-	-	-	-	0.51
31 मार्च,2021 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	12.14	1.33	-	-	-	-	-	13.47
निवल वहन राशि																
31 मार्च,2021 तक	-	-	-	-	-		-	-	20.82	0.69	-	-	-	-	-	21.51
31 मार्च 2020 तक	-	-	-	-	-		-	-	23.84	0.01	-	-	-	-	-	23.85

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 4 :प्रगति शील पूंजीगत कार्य

(₹ लाख में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	रेलवे साईडिंग	अन्य आधारभूत संरचना/ विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:							
01.04.2019 तक	-	-		658.60	3,066.82	-	3,725.42
जोड़	-	-		341.44	2,178.29	-	2,519.73
पूंजीकरण	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन / विलोपन				-	-	-	
31 मार्च,2020 तक	-	-	-	1,000.04	5,245.11	0.00	6,245.15
							-
01.04.2020 तक	-	-	-	1,000.04	5,245.11	-	6,245.15
जोड़	-	-		437.79	949.74	-	1,387.53
पूंजीकरण	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन / विलोपन		-	-	-	-	-	-
31 मार्च,2021 तक	-	-	-	1,437.93	9,848.84	0.00	11,286.77
							-
प्रावधान और हानि							
01 अप्रैल 2019 तक	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 तक	-	-	-	-		-	-
							-
01 अप्रैल 2020 तक	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च,2021 तक	-	-	-	-	-	-	-
निवल वहन राशि							
31 मार्च,2021 तक	-	-	-	1,437.93	9,848.84	0.00	11,286.77
31 मार्च 2020 तक	-	-	-	1,000.04	5,245.11	0.00	6,245.15

वित्तीय विविरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 9 :अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
गैर चालू		
बैंक जमा		
उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति जमा	-	-
घटावः संदेहास्पद जमा के लिए भत्ता	-	-
	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	-	-
घटावः संदेहास्पद जमा एवं प्राप्य हेतु भत्ता	-	-
	-	-
कुल	-	-
चालू		
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
अर्जित ब्याज	0.01	1.47
दावे और अन्य प्राप्य	0.94	1.46
घटावः संदेहास्पद दावों के लिए भत्ता	-	-
	0.94	1.46
कुल	**0.95**	**2.93**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 10 : अन्य गैर- चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) पूंजीगत अग्रिम	833.15	852.34
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		
	833.15	**852.34**
(ii)पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
(क)उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति जमा	1.48	1.48
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान		
	1.48	**1.48**
(ख) अन्य जमा एवं अग्रिम		
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		
	-	-
(ग)संबंधित पार्टियों को अग्रिम	-	-
कुल	**834.63**	**853.81**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क) राजश्व के लिए अग्रिम (वस्तु एवं सेवाएँ)	-	-
घटाव : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
(ख) संवैधानिक शुल्क हेतू अग्रिम भुगतान		
घटाव : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
(ग) संबन्धित पार्टियों को अग्रिम	-	-
(घ) अन्य अग्रिम एवं जमा	0.72	0.02
घटाव : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.72	0.02
(इ) प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	-
घटाव : प्रावधान		
कुल	**0.72**	**0.02**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 14 - नगद एवं नगद समतुल्य

(₹ लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क) बैंक में नकद		
जमा लेखा में	-	-
- चालू लेखा में		
क.ब्याज धारक (सीएलटीडी लेखा इत्यादि)	50.23	51.64
ख. गैर ब्याज धारक	28.29	0.47
नगद क्रेडिट खातों में		
(ख) भारत के बाहर बैंक में शेष	-	-
(ग) उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
(घ) उपलब्ध नगद	-	-
(ङ) भारत के बाहर नगद में उपलब्ध	-	-
(च) अन्य	-	-
कुल नगद और नगत समतुल्य	78.52	52.11

टिप्पणी:

1 नकद और नकद समकक्षों में पास में और बैंक में उपलब्ध नकद, तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ रखे गए स्वीप खाते और सावधि जमा शामिल हैं

2 बैंक विवररण के अनुसार शेष हैं: -
ब्याज सहित (CLTD) खाता-) ₹ 50.23 लाख
गैर-ब्याज -₹ 28.29 लाख
नोट -14 (a) की तुलना अनुसार बकाया राशि में भिन्नता नहीं है। बैंक समाधान विवरण के माध्यम से शेष राशि का विधिवत मिलान किया जाता है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 16 :इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

अधिकृत	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
₹10 प्रत्येक का 100000 इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
₹10 प्रत्येक का 50000 इक्विटी शेयर	5.00	5.00
	5.00	**5.00**

1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या (₹ 10 प्रत्येक अंकित मूल्य)	कुल शेयरों का प्रतिशत
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और उनके नामित	32000	64
आईआरसीओएन इंटरनेशनल लिमिटेड और उनके नामित	13000	26
ओड़िशा औद्योगिक औद्योगिक संरचना विकास निगम	5000	10
कुल	**50000**	**100**

2) अवधि के दौरान, शेयरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई (अधिशेष)	अन्य व्यापक आय	कुल इक्विटि
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	पूंजीगत रिजर्व				
01.04.2019 के अनुसार शेष				(2.65)		(2.65)
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि समायोजन	-	-	-	-	-	-
01.04.2019 के अनुसार बहाल शेष	-	-	-	(2.65)	-	(2.65)
अवधि के दौरान जोड़/प्रतिधारित कमाई से अंतरण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-		-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	(83.15)	-	(83.15)
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्भुगतान (कर का निवल)	-	-	-	-	-	-
विनियोग						
प्रतिधारित आय (मुख्यालय) में अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2020 को बकाया के अनुसार	-	-	-	(85.80)	-	(85.80)
अवधि के दौरान जोड़/प्रतिधारित कमाई से अंतरण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	(5.71)	-	(5.71)
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्भुगतान (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोग						
प्रतिधारित आय में अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2021 को बकाया	-	-	-	(91.51)	-	(91.51)

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
टिप्पणी -19 : व्यापार देय

(₹ लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार देय	-	-
व्यापार के लिए अन्य भुगतान		
-भंडार और पुर्जे	-	-
-ऊर्जा एवं ईंधन	-	-
अन्य व्यय	8.49	7.57
कुल	8.49	7.57

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बकाया राशि की अवधि तथा ब्याज यदि कोई हो

अवधि	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
15 दिनों के भीतर बकाया	-	-
16 से 30 दिनों के भीतर बकाया	-	-
31 से 45 दिनों के भीतर बकाया	-	-
45 दिनों से अधिक बकाया	-	-
कुल एमएसएमई लेनदार	-	-

नोट :

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
व्यापार देय- कुल सुक्ष्म एव लघु उद्योगों के लिए		
क) मूलधन और ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया गया है लेकिन अवधि के अंत तक कोई बकाया नहीं।	–	–
ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार अवधि के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज।	–	–
ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना भुगतान करने में विलंब अवधि के लिए देय ब्याज (जिसका वर्ष के दौरान नियत दिन से परेभुगतान किया गया है)।	–	–
घ) अवधि के अंत में अर्जित और भुगतान न किया गया ब्याज	–	–
ई) उपरोक्तानुसार वास्तव में छोटे उद्यम को जब तक ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता तब तक अगले वर्षों में शेष और देय ब्याज ।	–	–

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय दायताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा	-	-
बयाना राशि	-	-
अन्य	-	-
	-	-
चालू		
एमसीएल के साथ चालू खाते	10,671.59	6,588.84
इरकॉन के साथ चालू खाता	44.00	44.00
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
अभुक्त लाभांश	-	-
प्रतिभूर्ति जमा	-	-
अग्रिम राशि	0.60	-
भुगतान योग्य पूँजीगत व्यय	1,010.18	305.00
वेतन,मजदूरी एवं भत्ते के लिए देयताएं	137.62	78.93
अन्य	431.85	227.67
कुल	**12,295.84**	**7,244.44**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 23 : अन्य चालू देयताएँ

(₹ लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
वैधानिक बकाया	5.51	7.20
	5.51	**7.20**
ग्राहकों से अग्रिम / अन्य	-	-
अन्य देयताएं	-	-
कुल	**5.51**	**7.20**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 25 :अन्य आय

(₹ लाख में)

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	2.24	2.02
लाभांश आय	-	
अन्य		
परिसंपत्तियाँ की बिक्री पर लाभ	-	
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	
लीज रेंट	-	
पुनः लिखी गई देयता	-	
पुनः लिखी गई प्रावधान	-	
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)	-	
विविध आय	-	
कुल	2.24	2.02

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय	2.89	1.92
प्रशिक्षण व्यय	-	-
दूरभाष एवं डाक	0.27	0.65
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	-	-
भाड़ा प्रभार	-	-
प्रतिभूति व्यय	-	-
होल्डिंग कंपनी का सेवा प्रभार	-	-
किराया शुल्क	-	-
विधि व्यय	-	76.10
बैंक प्रभार	0.01	0.01
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	0.93	0.57
कंसल्टेंसी चार्ज	0.41	0.35
विक्रय/डिस्कार्ड/सर्वेआफ परिसंपत्तियों पर हानि	-	-
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय	-	-
- लेखा परीक्षा फीस	0.90	0.90
- कर संबंधी मामले	-	-
- अन्य सेवाओं के लिए	-	-
-व्यय की प्रतिपूर्ति	0.45	0.46
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस पर व्यय	-	-
किराया	-	-
दर एवं कर	-	-
बीमा	-	-
विनियम दर में अंतर से हानि	-	-
संविदात्मक व्यय	-	3.79
अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	-	-
विविध व्यय	2.07	0.43
कुल	**7.94**	**85.17**

टिप्पणी – 38: 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1 उचित मूल्य मापन

(क) वर्गवार वित्तीय साधन

(₹ लाख में)

	31.03.2021		31.03.2020	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :	0.00	0.00	0.00	0.00
सुरक्षित बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
सहकारी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा एवं प्राप्य	0.00	0.95	0.00	2.93
व्यापार प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
नगद एवं नगद समतुल्य	0.00	78.52	0.00	52.11
अन्य बैंक शेष	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय देयताएं				
उधार	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार देय *	0.00	8.49	0.00	7.57
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	0.00	0.60	0.00	0.00
अन्य देयताएं *	0.00	12295.24	0.00	7244.44

(ख) उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसले एवं अनुमान को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है। (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है।

(₹ लाख में)

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयताओं को मापा गया	31.03.2021		31.03.2020	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
म्यूचुअल फंड/आई.सी.डी.	0.00	0.00	0.00	0.00

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्यों का प्रकटन किया	31.03.2021		31.03.2020	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :	0.00	0.00	0.00	0.00
सुरक्षित बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
सहकारी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा एवं प्राप्य	0.00	0.95	0.00	2.93
व्यापार प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
नगद एवं नगद समतुल्य	0.00	78.52	0.00	52.11
अन्य बैंक शेष	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय देयताएं				
उधार	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार प्राप्य	0.00	8.49	0.00	7.57
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	0.00	0.60	0.00	0.00
अन्य देयताएं	0.00	12295.24	0.00	7244.44

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

स्तर 1: स्तर 1 अनुक्रमण में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है इसमें म्यूअचल फंड शामिल है, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) का उपयोग कर मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2: ये वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग कर किया जाना अपेक्षित है जो कि निरीक्षण बाजार के आंकड़ों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर रहता है। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं हो तो उसे उपकरण स्तर 3 में शामिल किया जाएगा। इक्विटी प्रतिभूतियां, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

(ग) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग

मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है जिसमें म्यूचुअल फ़ंड में निवेश के संबंध में बाजार में उपकरणों के उद्धृत कीमत (एन.ए.वी.) का उपयोग शामिल हैं।

(घ) महत्वपूर्ण उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में कोई भी अप्रभावित उल्लेखनीय निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

(ङ) परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके अल्पावधि के कारण उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।

कंपनी मानती है कि "सुरक्षा जमा" एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक के रूप में शामिल नहीं है। वित्त प्रावधानों को छोड़कर कंपनी का प्रदर्शन तथा करार के लिये यांत्रिक राशि सुरक्षा जमा के साथ समाहित कर दिया जाता है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत हित की रक्षा करते हैं। तदनुसार सुरक्षा जमा की लेनदेन की लागत को प्रारम्भिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है तथा बाद में उसे परिशोधित लागत पर मापा भी जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान : वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी, उपयुक्त मान्यताओं को निर्धारित करने हेतु है एक तकनीक का चयन करती है।

2 जोखिम विश्लेषण एवं प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के मुख्य देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं।

कंपनी बाजार क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को जोखिम समिति द्वारा सहयोग प्राप्त होता है, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती है तथा वित्तीय जोखिम कंपनी के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह किस प्रकार इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य तथा परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां	काल प्रभाव विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	वार्षिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम -विदेशी विनिमय	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को आईएनआर में नहीं दर्शाया गया है	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा.
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डी.पी.ई. के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। बोर्ड अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल जोखिम प्रबंधन हेतु लिखित रूप में सिद्धांत प्रदान करता है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन :

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की विक्रय से उत्पन्न होती हैं। कोयले की विक्रय को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मैंमने - आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान : कंपनी आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा संदिग्ध/क्रेडिट हानि आस्तियों के लिए अपेक्षित ऋण जोखिम हानि प्रदान करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि :-

दिनांक 31.03.2021 तक

(₹ लाख में)

विश्लेषण	दो महीने के लिए बकाया	छह महीने के लिए बकाया	1 वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
सकल वहन राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अपेक्षित हानि दर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

दिनांक 31.03.2021 तक

(₹ लाख में)

विश्लेषण	दो महीने के लिए बकाया	छह महीने के लिए बकाया	1 वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
सकल वहन राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अपेक्षित हानि दर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

हानि भत्ता प्रावधान का समाधान –व्यापार प्राप्य

(₹ लाख में)

दिनांक 01.04.2020 तक हानि भत्ता	0.00
हानि भत्ता में परिवर्तन	0.00
दिनांक 31.03.2021 तक हानि भत्ता	0.00

वित्तीय आस्तियों में हुए हानि हेतु किए गए महत्वपूर्ण आकलन एवं निर्णय

ऊपर बताई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट और अपेक्षित हानि दर तथा न्यूनतम जोखिम पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने के लिए और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थितियों और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किए गए हानि के आकलनों के आधार पर इनपुट का चयन करती है।

नगदी जोखिम

विवेकपूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखती है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नगदीकरण की स्थिति (जिसमें निम्नानुसार अधिकसित उधार देने की सुविधाएं शामिल हैं) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरूप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

बाजार जोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होती है जो किसी कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय मुद्रा) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन-देन से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय के संपर्क में है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात करती है एवं जोखिम को नियमित रुप से अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित भी किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होने पर लागू किया जाता है।

ख) नगदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

बैंक जमा कंपनी में उत्पन्न मुख्य ब्याज दर जोखिम के साथ ही कंपनी की नकदी ब्याज दर जोखिम को प्रदर्शित करता है। कंपनी की नीति निर्धारित दर पर अपनी अधिकांश जमा को बनाए रखने की है।

कंपनी सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.), क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधिकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करती है।

पूंजी प्रबंधन

सरकारी संस्था होने के नाते कंपनी वित मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजीगत संरचना निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

	31.03.2021	31.03.2020
इक्विटी शेयर पूंजी	5.00	5.00
दीर्घकालिक ऋण	0.00	0.00

3 कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं माप (भारतीय लेखांकन मानक-19)

कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति एमसीएल तथा इरकॉन द्वारा की जाती है, वेतन का भुगतान मूल कंपनी द्वारा किया जाता है तथा आवश्यक ऋण कंपनी को स्थानांतरित किया जाता है।

4 अपरिचित मदें

क) आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी पर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

(₹ लाख में)

	केन्द्रीय सरकार .	राज्य सरकार तथा स्थानीय अधिकारी	केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम	अन्य	कुल
प्रारंभन दिनांक 01.04.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान सम्मिलित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे :					
क. प्रारम्भिक शेष से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख अवधि के दौरान संयोजन से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिनांक 31.03.2021 को समाप्त	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ लाख में)

आकस्मिक देयता			
क्र.सं	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
1	केन्द्र सरकार		
	आयकर	0.00	0.00
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	0.00	0.00
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	0.00	0.00
	केंद्रीय विक्रय कर	0.00	0.00
	सेवा कर	0.00	0.00
	अन्य (कृपया उल्लेख करें।)	0.00	0.00
	उप योग	0.00	0.00
2	राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी		
	रोयल्टी	0.00	0.00
	पर्यावरण मंजूरी	0.00	0.00
	विक्रय कर / वैट	0.00	0.00
	प्रवेश कर	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00
	उप-योग	0.00	0.00
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
	मध्यस्थता कार्यवाही	0.00	0.00
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	0.00	0.00
	अन्य (कृपया उल्लेख करें।)	0.00	0.00
	उप -योग	0.00	0.00
4	अन्य :(अगर कोई हो)		
	विविध	0.00	0.00
	कर्मचारी संबंधित और आदि.	0.00	0.00
	उप-योग	0.00	0.00
	कुल योग	0.00	0.00

कंपनी के प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त के परिणाम से कंपनी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

II. गारंटी

31.03.2021 के अनुसार बैंक गारंटी ₹ 0.00 लाख (₹ 0.00 लाख) जारी की गई।

III. साख पत्र

दिनांक 31.03.2021 को बकाया साख पत्र ₹ 0.00 लाख (₹ 0.00 लाख) हैं।

ख) प्रतिबद्धताएं

निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि पूंजी राशि जिन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया : ₹ 0.00 लाख (₹0.00 लाख)

अन्य प्रतिबद्धताएं : ₹ 0.00 लाख (₹ 0.00 लाख)

5 अन्य सूचना

क) प्रावधान

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए कर्मचारी लाभ को छोड़कर भारतीय लेखांकन मानक -37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और मूल्यांकन वीनांकित है, जो नीचे दिए गए हैं :

(₹ लाख में)

प्रावधान	दिनांक 01.04.2020 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान प्रतिलेखन/ समायोजन/ भुगतान	दिनांक 31.03.2021 को अंतिम शेष
नोट 3: - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण::				
संपत्ति की हानि:	-	-	-	-
नोट 4: - पूंजीगत कार्य में प्रगति				
सी.डब्लू.आई.पी. संबंधित	-	-	-	-
नोट 5: - अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां :				
प्रावधान और हानि :	-	-	-	-
नोट 8: - ऋण :				
अन्य ऋण :	-	-	-	-
नोट 9:- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां:				
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	-	-	-	-
दावे और अन्य प्राप्य	-	-	-	-
नोट 10:- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ				
पूंजीगत अग्रिम	-	-	-	-
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-	-	-
अन्य जमा एवं अग्रिम	-	-	-	-
नोट 11:- अन्य चालू परिसंपत्तियाँ :				
राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तु एवं सेवाएं)	-	-	-	-
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	-	-	-
अन्य अग्रिम और जमा	-	-	-	-
नोट 13:-व्यापार प्राप्य :				
खराब और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान :	-	-	-	-
नोट 21: - गैर-चालू और चालू प्रावधान :				
उपदान	-	-	-	-
अवकाश नगदीकरण	-	-	-	-
अनुग्रह राशि	-	-	-	-
कार्य प्रदर्शन संबंधित भुगतान	-	-	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-	-	-
साइट पुन: स्थापना / खान बंदी	-	-	-	-
स्वीपिंग गतिविधि समायोजन	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-

ख) खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग

कंपनी मुख्य रूप सेगमेंट रेपोर्टिंग के एकल कार्य में लगी हुई है। .

ग) प्रति शेयर आय:

क्र. सं	विवरण	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ	(₹ 5.71)	(₹ 83.15)
ii)	इक्विटी शेयर्स की भारित औसत संख्या	50000	50000
iii)	प्रति शेयर मूलभूत आय तथा सन्दित आय (अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर)	(₹ 11.42)	(₹ 166.30)

घ) संबंधित पक्ष की जानकारी

संबंधित पार्टियों की सूची नीचे निम्नानुसार है :-

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

श्री ओ. पी. सिंह	अध्यक्ष	01.03.2019
श्री एस. के. मोहंती	निदेशक	01.06.2016
श्री एस. एल. गुप्ता	निदेशक	25.08.2016
श्री एम. के. सिंह	निदेशक	01.11.2019
श्री अभिजीत नारंद्र	निदेशक	02.08.2017
श्री के. राव	निदेशक	16.12.2020
श्री के. के. राउत	निदेशक	10.01.2020
श्री एस. के. सिन्हा	सीईओ	24.12.2020
श्री बी. के. बेहेरा	सीओओ	08.07.2019
श्री पी. के. पंडा	सीएफओ	01.06.2020

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र.सं	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशक तथा कंपनी सचिव को भुगतान	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ		
	सकल वेतन	0.00	0.00
	चिकित्सीय लाभ	0.00	0.00
	अनुलाभ और अन्य लाभ	0.00	0.00
ii)	रोजगार के बाद के लाभ		
	पी.एफ. और अन्य निधि में योगदान	0.00	0.00
iii)	समाप्ति लाभ	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00

स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹ लाख में)

क्र.सं	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	बैठक शुल्क	0	0

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ बकाया राशि

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2021 तक	दिनांक 31.03.2020 तक
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

ङ) आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता की भरपाई की जा रही है क्योंकि ये एक ही शासन के कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं।
आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता :

(₹ लाख में)

		31.03.2021	31.03.2020
क.	आस्थगित कर परिसंपत्ति :		
	संदिग्ध अग्रिमों, दावों और ऋण के लिए प्रावधान	0	0
	कर्मचारी लाभ	0	0
	अन्य	0	0
	(क) का कुल	0	0
ख.	आस्थगित कर देयता :		
	अचल संपत्ति से संबंधित	0	0
	अन्य	0	0
	(ख) का कुल	0	0
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (क-ख)	0	0

घ) बीमा और वृद्धि के दावे
प्रवेश / अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि के दावों का हिसाब किया जाता है।

छ) लेखों में किए गए प्रावधान
धीमी गति से चलने वाले / नॉन-मूविंग / अप्रचलित भंडार, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के लिए खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

ज) चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि।
प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपत्ति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

झ) चालू देयताएं
जहाँ वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है वहाँ अनुमानित देयता प्रदान की गई है।

ञ) शेष की पुष्टि
शेष की पुष्टि /सामंजस्य नकद और बैंक शेष, निश्चित ऋण और अग्रिम, दीर्घकालिक देयताओं और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है। सभी संदिग्ध अपुष्ट शेषों के लिए प्रावधान किया गया है।

ट) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति :
कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) का मसौदा तैयार किया गया है।

ठ) कोविड -19 का प्रभाव
यह क्षेत्र कोविड -19 के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए निरंतर उपाय कर रहा है और व्यापार को आसान करने के लिए इसने विभिन्न उपायों को लागू किया है। क्षेत्र ने 31 मार्च 2021 तक वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की मात्रा को वहन करने की वसूली सहित वित्तीय विवरणों की तैयारी में महामारी के कारण उत्पन्न संभावित प्रभावों पर विचार किया है। यह क्षेत्र भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन पर कड़ी निगरानी रखेगा।

ड) हालिया घोषणाएं : 24 मार्च 2021 को,
कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया। यह संशोधन अनुसूची III के डिवीजन I, II और III को संशोधित करता है और यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू होता है। कंपनी अपने वित्तीय वक्तव्यों में संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

ढ)
अन्य
आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनर्समूहित, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है। ii. नोट -1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 23, 31 मार्च 2021 के अनुसार तुलनपत्र को तथा 24 से 37 उस तिथि पर समाप्त अवधि के लिए लाभ हानि के विवरण को दर्शाता है। नोट 38 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणियों को दर्शाता है।

नोट 1 से 38 तक हस्ताक्षर

ह/- (पी. के. पंडा) मुख्य वित्त अधिकारी	ह/- (एस. के. सिन्हाँ) मुख्य अधिशासी अधिकारी	कृते, कक्कड़ एंड एसोसियेट्स सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं - 317066E
ह/- (केशव राव) निदेशक डीआईएन : 08651284	ह/- (ओ.पी सिंह) अध्यक्ष डीआईएन : 07627471	ह/- (सीए सुनिल कक्कड़) प्रोपराइटर (सदस्य संख्या . 053159)

दिनांक : 24.05.2021
स्थान : संबलपुर